झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान– सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 14 फाल्गुन, 1942 (श0) को 05 मार्च, 2021 (ई0) झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0		सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.		02.	03.	04.	05.	06.
202–	सा0–	12	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सी0एच0सी0 भवनों का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
203–	सा0–	36	श्री नवीन जायसवाल	पी0एच0सी0 को सी0 एच0सी0 में अपग्रेड।	.. ..	26.02.2021
204–	सा0–	13	श्री अनन्त कुमार ओझा	स्वास्थ्य कर्मियों का पदस्थापन	.. ..	26.02.2021
205–	सा0–	21	श्री मंगल कालिन्दी	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति।	.. ..	26.02.2021
206–	सा0–	25	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	नर्सिंग कॉलेज की स्थापना।	.. ..	26.02.2021
207–	सा0–	07	श्री निरल पुरती	अस्पताल के भवन का निर्माण।	.. ..	26.02.2021
208–	सा0–	33	श्री डुलू महतो	ब्लड बैंक की स्थापना।	.. ..	26.02.2021
209–	रा–	21	श्री चमरा लिण्डा	रैयतो को भूमि दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021

01.	02.	03.	04.	05.	06
210– सा0–	02	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	चिकित्सक/शिक्षकों की नियुक्ति।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2021
211– श्रनि–	07	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	दोषियों पर कार्रवाई।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
212– सा0–	40	श्री रामचन्द सिंह	पोस्टमार्टम हाऊस का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
213– श्रनि–	02	श्री सुदिव्य कुमार	प्राचार्य की नियुक्ति।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
214– सा0–	38	श्री राजेश कच्छप	डाक्टर एवं नर्स का पदस्थापन।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
215– रा–	08	श्री बंधु तिर्की	दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
216– श्रनि–	06	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रशिक्षण नियमित करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
217– रा–	10	श्री किशुन कुमार दास	नौकरी एवं मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
218– सा0–	27	श्री नारायण दास	चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण।	26.02.2021
219– रा–	19	डॉ0 लम्बोदर महतो	भूमिहिनों को आवास उपलब्ध कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
220– सा0–	14	श्री कमलेश कुमार सिंह	अस्पताल की व्यवस्था दुरूस्त करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण।	26.02.2021
221– रा–	28	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	रैयतों को मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
222– रा–	24	श्री सोना राम सिंकु	राजस्व उपनिरीक्षकों का ग्रेड–पे बढ़ाना।	" " " "	26.02.2021
223– रा–	20	श्री मथुरा प्रसाद महतो	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	" " " "	26.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

* श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आदेश–267, दि0–2.3.21 द्वारा ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
224–	स0– 09	श्री समीर कु0 मोहन्ती	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
225–	रा– 05	श्री निरल पुरती	मुआवजों का भुगतान।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
226–	स0– 06	श्री आलोक कु0 चौरसिया	डाक्टर एवं नर्स की नियुक्ति।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
227–	श्रनि– 05	श्रीमती सीता सोरेन	आई0टी0आई0 का निर्माण।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
228–	रा– 27	श्री ढुलू महतो	ई0 स्टाम्प की व्यवस्था।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
229–	स0– 32	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	अस्पताल को चालू करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
230–	स0– 15	डॉ0 इरफान अंसारी	स्थानांतरण करने के संबंध में।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
231–	श्रनि– 03	श्री सुदेश कुमार महतो	बेरोजगारी भत्ता के संबंध में।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
232–	रा– 31	श्री अमर कुमार बाऊरी	विवाद रहित सर्वे सेटेल्मेन्ट कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
233–	रा– 22	श्री संजीब सरदार	दोषी पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
234–	रा– 02	श्री सरयू राय	मलिकाना हक देने के संबंध में।	,, ,, ,, ,,	26.02.2021
235–	स0– 26	श्री नारायण दास	चिकित्सक की पदस्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
236–	रा– 34	सुश्री अम्बा प्रसाद	भू–स्वामी को जमीन वापसी के संबंध में।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
237–	स0– 18	श्री केदार हजरा	रिक्त पदों पर बहाली।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
* 238–	रा– 29	श्री कुशवाहा(डॉ0) शशिभूषण मेहता	मुआवजा दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

* राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश – 101/वि0 रा0, दि0– 2·3·21 द्वारा जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित/

01.	02.	03.	04.	05.	06
239—	रा— 12	श्री आलोक कु0 चौरसिया	अचलाधिकारी का पदस्थापन	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
240—	स0— 24	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
241—	स0— 11	श्रीमती सीता सोरेन	दोषी पर कार्रवाई।	" " " "	26.02.2021
242—	मद्य— 01	श्री अमित कुमार यादव	लंबित राशि का भुगतान।	उत्पाद एवं मद्य निषेध	26.02.2021
243—	रा— 04	श्री भानु प्रताप शाही	दस्तावेजों को ऑनलाईन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
244—	स0— 17	डॉ0 इरफान अंसारी	मल्टी सुपरस्पेशिएलिटी अस्पताल का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
245—	रा— 18	श्री मथुरा प्रसाद महतो	नौकरी एवं मुआवजों का भुगतान।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
246—	रा— 25	अमित कुमार यादव प्रभारी	सी0बी0 एक्ट उल्लंघन की जाँच।	" " " "	26.02.2021
247—	रा— 36	श्रीमती ममता देवी	ऑनलाइन त्रुटियों को दूर करना।	" " " "	26.02.2021
248—	रा— 35	डॉ0 नीरा यादव	फ्लेटों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण।	" " " "	26.02.2021
249—	रा— 03	श्री भानु प्रताप शाही	आवासीय कार्यालय में रहने का निर्देश।	" " " "	26.02.2021
250—	रा— 15	श्री अनन्त कुमार ओझा	भू-अर्जन कर योजना का निर्माण।	" " " "	26.02.2021
251—	स0— 39	श्री रामचन्द्र सिंह	दोषी पर कार्रवाई एवं भवन निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
252—	रा— 13	श्री कमलेश कुमार सिंह	निरक्षक एवं अमीन का पदस्थापन।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

01.		02.	03.	04.	05.	06
253–	रा–	07	श्री बंधु तिर्की	अहस्तांतरित गैरमजरूवा भूमि रद करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
254–	रा–	11	श्री विनोद कुमार सिंह	अंचलाधिकारी को निलंबन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
255–	स0–	41	श्री नलिन सोरेन	स्वास्थ्य केन्द में X-ray उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
256–	श्रनि–	04	श्री केदार हजरा	आई0टी0आई0 कॉलेज खोलना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
257–	स0–	23	श्री दीपक बिरूवा	बर्न केयर यूनिट चालू करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
258–	रा–	23	सुश्री अम्बा प्रसाद	रैयतों को मुआवजा	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
259–	रा–	17	श्रीमती पुष्पा देवी	निबंधन कार्यालय की स्थापना।	,, ,,	26.02.2021
260–	स0–	03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	बेहतर स्वास्थ्य बहाल करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2021
261–	स0–	01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा।	,, ,,	17.02.2021
262–	स0–	19	श्री अमित कुमार यादव	पोस्टमार्टम कार्य शुरू करना।	,, ,,	26.02.2021
263–	रा–	04 14	श्री लोबिन हेम्ब्रम	डिजिटल चेकपोस्ट का निर्माण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
264–	स0–	28	श्री सोनाराम सिंकु	X-ray एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021
265–	रा–	09	श्री किशुन कुमार दास	रैयतों को अन्तरराशि का भुगतान।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021
* 266–	श्रनि–	08	श्री कुमार जयमंगल	माइनिंग सर्वे की पढ़ाई पुनः प्रारम्भ कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
267–	रा–	30	श्री नवीन जायसवाल	सेटेलाइट सर्वे से नक्शा तैयार करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

* श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आदेश - 259, दि० - 2-3-21 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
268-	श्रनि- 01	श्री मनीष जायसवाल	योजना के लक्ष्य को पूरा करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.2021
269-	रा0- 42	श्री रणधीर कुमार सिंह	अतिक्रमण मुक्त कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	26.02.2021

रॉंची,
दिनांक- 05 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-06/2020-749/वि0स0, रांची, दिनांक- 01/3/21
प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/2021
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-06/2020-749/वि0स0, रांची, दिनांक- 01/3/21
प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-06/2020-749/वि0स0, रांची, दिनांक- 01/3/21
प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑन-लाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

सुभाष/-

01/03/2021

202

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 12 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू तथा गढ़वा जिला के विश्रामपुर विधान सभा अन्तर्गत पाण्डु प्रखंड, उँटारी रोड प्रखण्ड तथा मझिऑव प्रखण्ड में सी0ए0सी0 भवन का निर्माण प्रति इकाई ग्यारह करोड़ की दर से कराया जा रहा है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– क्रमशः 49(6)ब दिनांक 01.06.2016 एवं संख्या–48(6)ब दिनांक 01.06.2016 द्वारा पलामू जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाण्डु एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उँटारी रोड के भवन निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रति केन्द्र 10,58,10,612/– (दस करोड़ अनठावन लाख दस हजार छः सौ बारह) रूपये की लागत पर प्रदान की गई है। साथ ही, विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–158(6)ब दिनांक 27.11.2017 द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत मझिऑव में जर्जर रेफरल अस्पताल के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निमार्ण योजना की स्वीकृति कुल 11,10,23,100/– (ग्यारह करोड़ दस लाख तेईस हजार एक सौ) रूपये की लागत पर प्रदान की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा जानबुझ कर इस कार्य का प्राक्कलन पुनरीक्षित कराने की नीयत से लम्बित रखा गया है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है,	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाण्डु, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उँटारी रोड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझिऑव का निर्माण कार्य का Finishing कार्य प्रगति पर है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त तीनों भवनों का जनहित में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रबंधक –सह– कार्यपालक अभियंता, पी0आई0यू0 पलामू एवं गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त तीनों योजना तीन माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 07/2021– 217(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 609/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

203

श्री नवीन जयसवाल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 36 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है, कि लगभग 95000 हजार जनसंख्या वाले नवसृजित नगड़ी प्रखण्ड की आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा एवं उपचार हेतु वर्त्तमान में यहाँ उपलब्ध PHC पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है, कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले स्थान पर एवं यहाँ की आम जनता की स्वास्थ्य समस्या के निदान हेतु नगड़ी प्रखण्ड में एक CHC की आवश्यकता है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जनगणना–2011 के अनुसार राँची जिलान्तर्गत नगड़ी प्रखण्ड की जनसंख्या 76442 है, जबकि आई0पी0एच0एस0 मापदण्ड के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्र के लिए कुल 120000 जनसंख्या एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुल 80000 जनसंख्या अपेक्षित है। जबकि नगड़ी प्रखण्ड की जनसंख्या 76442 है। अतएव आई0पी0एच0एस0 मापदण्ड के अनुसार उक्त प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु पात्रता नहीं रखता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आम जनता की स्वास्थ्य समस्या के निवारण हेतु वर्त्तमान में नगड़ी प्रखण्ड में उपलब्ध PHC को CHC में Upgrade (उन्नयन) करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 08/2021– 218(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–588/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

204

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है, कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड उधवा के पंचायत जोका स्थित उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं राधानगर उप–स्वास्थ्य केन्द्र विगत 4–5 वर्षों से बनकर तैयार है,		स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है, कि उधवा प्रखंड स्तरीय अस्पताल का संचालन अभी भी प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यालय में ही संचालित है, जहाँ प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल निर्माण व उनके अनुरूप चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी का पदस्थापित नहीं रहने के कारण स्थानीय को कठिनाईयां हो रही है,		आंशिक स्वीकारात्मक। उधवा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण हेतु उपायुक्त, साहेबगंज से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, साहेबगंज से भूमि की उपलब्धता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
(3) क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत बाबूपुर पंचायत में वर्ष 2013 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण रु0 1.50 करोड की लागत से करवाई गयी थी, जिसमें 50 बेड की उपलब्धता है, जो चिकित्सा कर्मी के पदस्थापन न होने के कारण स्थानीय आमजन चिकित्सा का लाभ लेने से वंचित है,		यह योजना कल्याण विभाग के एम0एस0डी0पी0 के तहत स्वीकृत है एवं इसका संचालन भी कल्याण विभाग के द्वारा ही किया जाना है । इस संबंध में कल्याण विभाग से उत्तर प्रतिवेदन की माँग की गयी है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खंडों में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का अविलम्ब पदस्थापन कर स्थानीय को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?		कंडिका 1 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में ए0एन0एम0 एवं Community Health Officer पदस्थापित है, जिनके द्वारा स्वास्थ्य कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जा रहा है। उपरोक्त कंडिका 2 में अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात कंडिका 4 पर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)–09/2021– 220(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04·03·2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–608/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

205

श्री मंगल कालिन्दी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पुछे जाने वाला प्रश्न– स–21 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखण्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माँचा मे अस्पताल का उद्घाटन दिनांक– 02.06.2020 को किया गया है;	स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र, पटमदा का उद्घाटन दिनांक 25. 06.2020 को किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र मे चिकित्सा से संबधित सामग्रीयों का घोर अभाव है जिसके चलते आम लोगों को चिकित्सा में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है;	संस्थान में बुनियादी चिकित्सीय सुबिधा उपलब्ध है। अन्य चिकित्सीय सामग्रियों एवं उपकरणों की उपलब्धता हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की कमी को कारण लोगों को उपचार हेतु अन्यंत्र जाना पड़ रहा है;	पटमदा प्रखण्ड अंतर्गत माचा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक दन्त चिकित्सक, चार चिकित्सा पदाधिकारी के अतिरिक्त चार आर०बी०एस०के० चिकित्सा पदाधिकारी एवं एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पटमदा मे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल मे चिकित्सा से संबधित उपकरणों एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति एवं सौदर्यीकरण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०– 03/वि०स०–03–04/2021 108(3) रॉंची, दिनांक: 3/3/21

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप सं० 604/वि०स० दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
सरकार के उप सचिव

206

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-स-25 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि दुमका झारखण्ड राज्य का सेकेंड कैपिटल रहने के बाद भी वहाँ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बी०एस०सी० नर्सिंग या फार्मेसी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई महाविद्यालय नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। दुमका क्षेत्र में कुल 03 नर्सिंग विद्यालय तथा 01 नर्सिंग महाविद्यालय है। इनमें एक सरकारी संस्थान है, जो सदर अस्पताल, दुमका में संचालित है। अन्य तीन निजी क्षेत्र के संस्थान है। दुमका प्रमण्डल में 05 फार्मेसी कॉलेज है, जिसमें एक डिग्री कॉलेज है तथा अन्य 04 संस्थानों में डिप्लोमा की पढ़ाई होती है। उक्त सभी संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा नये फार्मेसी कॉलेज खोलने हेतु भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है, कि दुमका में बी०एस०सी० नर्सिंग या फार्मेसी कॉलेज नहीं होने के कारण दुमका के एक बड़े क्षेत्र में मेधावी एवं इच्छुक छात्र-छात्राओं को उक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु या तो बाहर जाना पड़ता है या आर्थिक विपन्नता के चलते स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न रोजगारोन्मुख शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका में बी०एस०सी० नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-10/वि०स०-01-03/2021 – 38(10) स्वा०/राँची/दिनांक:- 4/3/21
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०- 589/वि०स० दिनांक-26.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.03.21
सरकार के उप सचिव।

NAND KUMAR/Health

207

श्री निरल पूरती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है कि मंझगांव प्रखण्ड अन्तर्गत रेफरल अस्पताल का भवन जीण–शीर्ण अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि मंझगाँव प्रखण्ड की सामुदायिक चिकित्सा सेवा पूर्ण रूप से प्रभावित है एवं क्षेत्र के आम जनता चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए दर–दर भटक रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मंझगाँव प्रखण्ड स्थित पुराने रेफरल अस्पताल भवन में क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 2020 में ओ0पी0डी0 में कुल 13090 एवं आई0पी0डी0 में कुल 960 मरीजों का ईलाज किया गया है। साथ ही, बगल में कल्याण विभाग द्वारा संचालित मेसो अस्पताल अवस्थित है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मंझगाँव प्रखण्ड स्थित रेफरल अस्पताल का नया भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्राथमिकता के आधार पर उक्त स्थान पर पुराने भवन को कण्डम घोषित करते हुए नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 10/2021– 213(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–605/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

(208)

श्री ढुलू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला एक घनी आबादी वाला है और जिले के नागरिकों को अपने खुन की जरूरत के लिए सिर्फ सदर स्थित एक ब्लड बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित है उसी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक भी संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि बाघमारा क्षेत्र में 61 पंचायत और 8 वार्ड हैं जो एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए 35–40 कि0मी0 की दूरी तय कर ब्लड बैंक से खुन लेने के लिए नित्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है	कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा में ब्लड बैंक की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–08/2021...67(5) रॉंची, दिनांक–...03-03-21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक–591 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(209)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–21 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, राँची के मौजा–अरगोड़ा स्थित खाता सं0–9–44, प्लॉट संख्या–440, रकबा–84 डिसमील, 1932 का खतियानी रैयत गोंदल उरांव वगैरह के नाम से दर्ज है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जमीन पर छेदी राम साहू के साथ गोंदल उरांव के वंशजों का मुकदमा चला और उसमें SAR Court Case No. SAR 419/2006-07 बंधु उरांव बनाम् बलि साहू वगैरह उपायुक्त (DC) राँची जिसका Case No. SAR APEAL No. 78R 15/2008-09 छेदी राम साहू Vs बुधू उराँव और आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर जिसका Case No. SAR रिविजन वाद संख्या–179/2011 छेदी राम साहू Vs झिरका उराँव तीनों ने गोंदल उराँव और उनके वंशजों के पक्ष में निर्णय लिया ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि उक्त भूमि पर समृद्धि बिल्डर के द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति की जमीन पर समृद्धि बिल्डर के द्वारा अवैध निर्माण कार्य को बंद कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	राँची समाहरणालय, राँची का पत्रांक–957, दिनांक–03.03.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, अरगोड़ा को निदेश दिया गया है कि जबतक इस मामले की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है, निर्माण कार्य पर रोक लगायी जाय।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(तारा0)–79/2021...1056/रा0, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–579/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के अपर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में चिकित्सकों की कमी होने के कारण धनबाद सहित विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के नामांकन हेतु स्वीकृत 100 सीटों के लिए एम०सी०आई० द्वारा चिकित्सकों/शिक्षकों की कमी के कारण एम०बी०बी०एस० सीटों में कटौती कर 50 कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के उद्देश्य से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध चिकित्सकों/शिक्षकों नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभिन्न विभागों में पी०जी० बॉण्ड के तहत तथा Walk-In-Interview के माध्यम से कई ट्यूटर/वरीय रेजिडेंट के पद पर कई चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु जे०पी०एस०सी० को अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शैक्षणिक संवर्ग के उच्चतर पद यथा प्राध्यापक एवं सह– प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-01/2021 — 69(9) रॉची, दिनांक– 01/3/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 37 दिनांक– 17-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.3.2021
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

212

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 40 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड़ अनुमंडल के लोगों को अकस्मात घटना से मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम हेतु करीब 150 कि0मी0 दूर लातेहार जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय में पोस्टमार्टम हाउस निर्माण होने से इस अनुमण्डल में आने वाले तीन प्रखण्ड यथा 200 ग्रामों के लोगों को अकस्मात मृत्यु जैसे घटना पर पोस्टमार्टम कराने में सहूलियत होगी ;	स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआडांड़ अनुमण्डल मुख्यालय में पोस्टमार्टम हाउस निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	महुआडांड को अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त महुआडांड़ में अनुमण्डलीय अस्पताल (पोस्टमार्टम हाउस सहित) के भवन का निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इस क्रम में अद्यतन स्थिति यह है कि महुआडांड़ में अनुमण्डलीय अस्पताल के भवन का निर्माण हेतु उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 963/रा0 दिनांक–14.10.2017 के द्वारा ग्राम कुरेकला में खाता सं0–121 में प्लॉट सं0–715 से 063 ए0 एवं प्लॉट सं0–741 से 2.00 ए0 कुल–2.63 ए0 रकबा अनुमण्डल अस्पताल(पोस्टमार्टम हाउस सहित) के भवन का निर्माण हेतु भूमि विभाग को हस्तांतरित की गई है, पोस्टमार्टम हाउस निर्माण का प्राकल्लन प्राप्त कर इसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-17/2021- 72 (15) राँची, दिनांक–03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 599 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.3.2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

213

280
03/03/202 1

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–02 की उत्तर सामग्रीः–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदिव्य कुमार माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष 5664 प्रशिक्षणर्थियों का नामांकन लिया जाता है;	स्वीकारात्मक। राज्य के कुल 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या–12432 है, इसके विरूद्ध वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या–5324 है।
2.	क्या यह बात सही है कि 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 55 प्राचार्य का पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि प्राचार्य की नियुक्ति हेतु नए झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसके कारण प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली के गठन कर प्राचार्य की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार, झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली का शीघ्र गठन करने एवं तत्पश्चात् प्राचार्य की नियुक्ति करने हेतु कृत संकल्प है।

03/03/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–12/2021श्र०नि०–280 राँची, दिनांक–03/03/2021
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–547, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

E:\Sari\Prem Bhagat\Vidhan Sabha\03-12-2021 T..docx

214

श्री राजेश कच्छप, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पुछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–38 की उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रांची जिला में नामकुम प्रखण्ड के लालखटगा पंचायत के बायोसिटी पार्क के पास 50 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बन कर तैयार है;	अस्वीकारात्मक। रांची जिला में लालखटंगा पंचायत के बायोडायभर्सिटी पार्क के पास 06 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर का भवन नवनिर्मित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर और नर्स की पदस्थापना नही की गई है जिसके कारण उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का लाभ ग्रमीणो को नही मिल पा रहा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो चिकित्सक पदस्थापित है एवं पारामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुचारू रूप से चालु होने पर रिंग रोड में आये दिनों हो रही दुर्घटना में चिकित्सा में लाभ मिल सकता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पूर्वकालीन डॉक्टर एवं नर्स की पदस्थापन का विचार रखती है, हो तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0स0–03–05 / 2021 107 (3) रांची, दिनांक: 3/3/21

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रांची को उनके ज्ञाप सं0 597 / वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
सरकार के उप सचिव

215

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉंची।
1	क्या यह बात सही है कि रॉंची जिलान्तर्गत अंचल–चान्हों, मौजा–बरहे, थाना नं0–83 में लोकायुक्त के निर्देश पर दण्डाधिकारी के जांच रिर्पोट के अनुसार मूल खतियान में जमीन 5.22 एकड़ है, वही चान्हों अंचल द्वारा 7.75 एकड़ जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। लोकायुक्त के निदेश पर दण्डाधिकारी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम–बरहे, थाना सं0–83, खाता संख्या–112, प्लॉट संख्या–861 में खतियानी रकबा–5.22 एकड़ के विरूद्ध 7.751/2 एकड़ की ऑनलाईन जमाबंदी कायम है। वस्तुतः यह नामांतरण से संबंधित मामला न होकर दोहरी जमाबंदी का मामला है, जिसे सुधार करने हेतु अंचल अधिकारी, चान्हो के द्वारा विविध वाद संख्या–03/2019–20, पत्रांक–71(ii), दिनांक–12.02.2020 के द्वारा अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची को भेजा गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध म्यूटेशन करनेवाले के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0(तारा0)–60/2021...1057/रा0, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–571/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
सरकार के अपर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(216)

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक– 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता डॉ0 लम्बोदर महतो माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता (मंत्री) माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरमों (तेनुघाट) बोकारो के संचालन हेतु कौशल विकास के लिए JSDMS द्वारा Empanelled Training Service Provider M/s चाणक्या फांउडेशन, पटना को दिनांक 07.03.2019 तथा Globel Services (P) LTD रॉंची को दिनांक 05.09.2019 को आवंटित किया गया है;	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों संस्थान के आवंटन के 1 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया गया है जिसके कारण करोड़ों रूपये के आधारभूत संरचना उपयोग के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं,	उत्तर – आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर वर्त्तमान सत्र से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसमार एवं तेनुघाट में सरकारी नियंत्रण में प्रशिक्षण नियमित सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेनुघाट (बेरमो) को पूर्व में Globel Services (P) LTD को आवंटित किया गया। इनके इनकार किए जाने के फलस्वरूप M/s Vinayak Foundation से करार किया गया है। चालू सत्र से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार में प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं करने के कारण M/s चाणक्या फांउडेशन का करार रद्द कर दिया गया है। निविदा के माध्यम से नये प्रतिष्ठान को संस्थान आवंटित कर आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जायेगा।

ह0/- 3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉंची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :–5/प्रशि0 (वि0स0)–07/2021 316 **रॉंची, दिनांक** 3/3/2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 548 वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉंची।

E/I/M/ Vidhan Shaba 20-21 58

217

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–10 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड में मगध परियोजना, आम्रपाली परियोजना एवं सी०सी०एल० द्वारा गैर–मजरूआ, खास भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन ऐसे रैयतों का दावा सत्यापन के पश्चात् रद्द कर दिया गया है ;		चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड में मगध परियोजना एवं आम्रपाली परियोजना सी०सी०एल० द्वारा गैरमजरूआ खास भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जिसका सत्यापन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–334 / रा., दिनांक–14.05.2009 के आलोक में किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में गैर–मजरूआ, खास भूमि, जंगल, झाड़ जिसका उपयोग सी०सी०एल० सहित उक्त कम्पनियों द्वारा कर लिया गया है। उस पर रैयतों को नौकरी एवं मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–334 / रा., दिनांक–14.05.2009 द्वारा निदेश निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5 / स.भू. वि.स. चतरा (तारां.)–38 / 2021...1050...(5) / रा., राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–580 / वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

218

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि देवघर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जसीडीह सी0एच0सी0 की वर्ष–2014 में सारी बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थापित की गयी थी, जिसपर करीब–2.50 लाख की आबादी निर्भर है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि जसीडीह सी0एच0सी0 से एंबुलेंस हटा लिया गया तथा एक्स–रे मशीन की विभागीय अनदेखी तथा ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण पी0एम0सी0एच0 धनबाद भेज दिया गया	यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसीडीह का एम्बुलेंस Maruti Ecco का संचालन कोविड–19 का सैंपल कलेक्शन के लिए जिला द्वारा किया जा रहा है। तथा एक्स–रे मशीन अधीक्षक कार्यालय पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद के पत्रांक 847 दिनांक 25.04.2015 के द्वारा माँग की गई थी। सिविल सर्जन, देवघर के पत्रांक 3042 दिनांक 12.11.2014 एवं सामु0स्वा0केन्द्र, जसीडीह के पत्रांक 250 दिनांक 28.04.2015 के द्वारा मो0 गुलाम सामदानी को हस्तगत कराया गया है तथा अनुबंध पर नियुक्त एक्स–रे मशीन ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति वर्तमान में सदर अस्पताल देवघर में है।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में एंबुलेंस, महिला चिकित्सक, ए–ग्रेड नर्स, डेंटल एक्स रे टेक्नीशियन तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मरीजों को समुचित ईलाज नहीं हो पाता है और उन्हें सदर अस्पताल, देवघर पर निर्भर रहना पड़ता है	यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसीडीह अन्तर्गत अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशामिल, जसीडीह में एक महिला चिकित्सक दिनांक 18.01.2021 से पदस्थापित है तथा एक "ए" ग्रेड नर्स (अनुबंध) की प्रतिनियुक्ति अनुमंडलीय अस्पताल, मधुपुर से की गई है जो कि वर्तमान में कार्य रही है। सामु0स्वा0केन्द्र, जसीडीह में तीन बोरिंग कराया गया जिसमें पानी नहीं निकला है। जनहित में मरीजों को सप्लाय पानी की जार से पेयजल की व्यवस्था की गई है।
4.	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र जिसपर करीब–2.50 लाख आबादी निर्भर है, वहां स्थानीय मरीजों के लिए चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15 / वि0स0–07–09 / 2021 68 (15) राँची, दिनांक– 03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–602 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

219

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–19 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड में स्थित बनतारा बाजार परिसर में 75 वर्षों से अधिक समय तक 100 अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवार निवास करते आ रहे है ;	मौजा–बनतारा के खाता नं0–52, प्लॉट नं0–58 एवं खाता नं0–24, प्लॉट नं0–59 पर कुछ परिवार निवास कर रहे है। खाता नं0–52, प्लॉट नं0–58 कैसरे हिन्द भूमि है तथा खाता नं0–24, प्लॉट नं0–59 तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा कल्याण विभाग के लिए अधिग्रहित भूमि है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त परिवारों को सरकार द्वारा नोटिस जारी कर उक्त स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त परिवारों को गोला में ही किसी उपयुक्त स्थान पर आवास उपलब्ध करा कर बसाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय प्रावधानों के अनुसार योग्य भूमिहीन परिवार होने पर भूमि बंदोबस्ती/आवास आवंटन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 5/स0भू0 वि0स0 रामगढ़ (तारां0)–39/2021 1049 (5)/रा0 राँची, दिनांक 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–574/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव

(220)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद का संचालन नवनिर्मित भवन में जनवरी, 2021 में प्रारम्भ कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सीय उपकरणों में सुसज्जित होने के साथ–साथ बेडो की संख्या कम से कम 30 होनी चाहिए ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद का संचालन मात्र 10 बेडो पर किया जा रहा है तथा आधुनिक चिकित्सीय उपकरणों का घोर अभाव है एवं चिकित्सक के 10 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 04 चिकित्सक ही कार्यरत है और इसी तरह नर्सिंग स्टाफ की भी काफी कमी है ऐसे में 24 X 7 गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;	1. वर्तमान में 05 चिकित्सक कार्यरत हैं एवं एक चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर है। 2. अभी वर्तमान में 10 बेड उपलब्ध है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यथाशीघ्र 30 बेड उपलब्ध करायेंगे। 3. सीमित संसाधनों में 24 X 7 गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। 4. आधुनिक चिकित्सक उपकरणों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद में पर्याप्त बेड, आधुनिक चिकित्सीय उपकरण, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की समुचित व्यवस्था कर यहां के लोगों को 24 X 7 गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 3 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-12/2021 – 70(15) राँची, दिनांक–03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 610 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

221

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–28 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के मौजा–दिगवार में खाता नं0–158, प्लॉट नं0–3256, रकवा लगभग 0.40 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण एन0एच0ए0आई0 के द्वारा किया गया है ;	रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के मौजा–दिगवार में खाता नं0–158, प्लॉट नं0–3256, रकबा–0.40 एकड़ भूमि (गैरमजरूआ खास किस्म–जंगल) जिला भू–अर्जन कार्यालय, रामगढ़ द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन अधिग्रहण के समय तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़, अंचलाधिकारी, माण्डू एवं एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के तहत् मुआवजा भुगतान की बात कही थी, जो आज तक नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या बात सही है कि बंदोबस्त गैरमजरूआ भूमि के मुआवजा भुगतान के संबंध में झारखण्ड सरकार के अवर सचिव, विनोद कुमार द्वारा पत्रांक–456, दिनांक–29 जुलाई, 2019 को निर्देश जारी किया था कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी और एन0एच0ए0आई0 द्वारा अधिग्रहित की गयी बंदोबस्त गैरमजरूआ भूमि का भुगतान करने की बात कही गयी है;	विभागीय पत्रांक–456/नि0रा0, दिनांक–29.07.2019 द्वारा सभी उपायुक्त/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/NHAI को सरकारी बंदोबस्त प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा का भुगतान करने के संदर्भ में निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मौजा–दिगवार के खाता नं0–158, प्लॉट नं0–3256, रकवा लगभग 0.40 डिसमिल जमीन जो एन0एच0ए0आई0 द्वारा अधिग्रहण किया गया है, का मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 5/स0भू0 वि0स0 रामगढ़ (तारां0)–41/2021–1048–(5)/रा0 राँची, दिनांक 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–572/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव

222

श्री सोनाराम सिंकू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–24 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सोनाराम सिंकू, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजस्व उप निरीक्षकों को न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400/– रूपये देने के संबंध में संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–3818, दिनांक–10.10.2019 के आलोक में सहमति दी गयी है ;	स्वीकारात्मक। श्री अमर कुमार बाउरी, तत्कालीन मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड एवं झारखण्ड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ, राँची के सदस्यों के बीच दिनांक–10.10.2019 को हुई वार्ता में निर्णय लिया गया कि– "राजस्व उप निरीक्षकों को न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400/– रूपये देने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 3 (तीन) दिन कार्य दिवस के अन्दर ग्रेड पे–2400/– रूपये अनुमान्य करने के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजी जायेगी।"
2	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के साथ झारखण्ड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ, राँची के सदस्यों के बीच वार्ता के अनुसार न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400/– देने का निर्णय लिया गया ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि 3 (तीन) दिन कार्य दिवस के अंदर ग्रेड पे–2400/– रूपये अनुमान्य करने हेतु योजना–सह–वित्त विभाग को अनुशंसा पत्र ज्ञापांक–8491, दिनांक–20.10.2019 द्वारा प्रस्ताव भेजा गया ;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–3875, दिनांक–15.10.2019 द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग को राजस्व उप निरीक्षकों का वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे 2400 निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वार्ता में लिये गये निर्णय के आलोक में राजस्व उप निरीक्षकों को ग्रेड पे– 2400/– रूपये देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार के पत्रांक–12/वि0, दिनांक–04.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि–जन सेवक के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे की विस्तृत समीक्षा के क्रम में कई विसंगतियाँ पायी गयी, जिसका निराकरण किये जाने का परामर्श कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी सम्प्रति राजस्व उप निरीक्षक के पद हेतु स्वीकृत ग्रेड पे 2000 के स्थान पर ग्रेड पे 2400 स्वीकृत करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट आधार या औचित्य नहीं रहने के फलस्वरूप प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 3/आ0क्षे0स्था0 (तारां0)–20/2021.........1043.....(3)/रा0 राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–582/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची एवं विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के उप सचिव

223

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–20 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत हिरापुर मौजा नं0–07, खाता नं0–136, प्लॉट नं0–824 एवं 839, रकबा–099 डी0 सरकारी जमीन है ;	धनबाद जिलान्तर्गत हीरापुर मौजा सं0–07, खाता सं0–136 गैर आबाद खाते की भूमि है, जिसका कुल रकबा–2.66 एकड़ है, जिसमें से 1.11 एकड़ भूमि यू0एल0सी0 केस नं0– 8/76–77 के द्वारा रैयती मान्यता दी गयी है, जिसका प्रकाशन जिला गजट संख्या–146, दिनांक–16.01.1981 के द्वारा की गयी है, जिसमें प्लॉट सं0–824 एवं 839 भी सन्निहित है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में अंकित जमीन झरिया राज्य स्टेट की जमीन स्व0 शिव प्रसाद सिंह की थी, जो झरिया राज्य स्टेट का रिसीभर (सचिन्द्र मोहन घोष) ने वर्ष 1929 से लेकर 1934 तक मात्र पाँच (05) वर्षों के लिए खेती–बाड़ी कर खाने के लिए अजित नारायण चक्रवती को दिया था;	इस संदर्भ में राजस्व दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध नहीं है।
3	क्या बात सही है, कि खण्ड (1) में अंकित भूमि को दिनांक–24/12/1947 को अजित नारायण चक्रवती द्वारा गलत तरीके से शरबिन्दु नारायण सिंह को बेच दिया गया ;	इस संदर्भ में राजस्व दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध नहीं है।
4	क्या यह बात सही है, कि उक्त भूमि का नक्शा पारित कराकर बड़े–बड़े फ्लैट बनाये जा रहे है ;	नक्शा के संबंध में नगर विकास विभाग से सत्यापन कराकर एवं फ्लैट निर्माण के संबंध में भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन से शीघ्र अवगत कराया जायेगा।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमि का उच्च स्तरीय जाँच कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 5/स0मू0 वि0स0 धनबाद (तारां0)–40/2021 1051 (5)/रा0 राँची, दिनांक 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–569/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

224

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाला गुड़ाबांधा प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कोई भवन नहीं है ;		अस्वीकारात्मक। गुड़ाबांधा प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 10 स्वास्थ्य उपकेन्द्र यथा – बालिजुड़ी, अंगारपाड़ा, कैमा, बाहुटिया, गुड़ाबाँधा, सिंहपुरा, काशियाबेड़ा, मुड़ाठाकरा, भालकी एवं माछमण्डार संचालित है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही, गुड़ाबाँधा प्रखण्ड अन्तर्गत बनमाकड़ी पंचायत में एक अस्पताल है जो कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड के सिंहपूरा गाँव में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में ही स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य संपादित होते हैं ;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुड़ाबांधा प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		गुड़ाबांधा प्रखण्ड में आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होने एवं बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0)– 11 / 2021– 214(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 590 / वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

225

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–05 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हाटगम्हरिया चौक से होते हुए बलण्डिया–मंझगाँव होते हुए बेनीसागर पथ, मंझगाँव–परसाचौक से खैरपाल– जैतगढ़–नोवामुण्डी पथ एवं उकुगुट्टू चौक से काठभारी–भरभरिया–कुमारडुंगी होते हुए मंझगाँव पथ में किए गए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;	आंशिक भुगतान की गयी है। उक्त परियोजनाओं में अधियाची निकाय के द्वारा पूर्ण आवंटन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रैयतों को मुआवजा भुगतान नही हो पा रही है। संबंधित परियोजनाओं में अब तक कुल प्राप्त आवंटन के आलोक में रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है, जो निम्नवत् है :– 1. हाटगम्हरिया– बेनीसागर– पथ भाया बंलडिया भोडा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना • परियोजना की वास्तविक प्राक्कलित राशि–20.87 करोड़ (बीस करोड़ सत्तासी लाख) • अब तक कुल प्राप्त आवंटन– 30084960.00 (तीन करोड़ चौड़सी हजार नौ सौ साठ) • भुगतान की गयी राशि–30072295.00 (तीन करोड़ बहत्तर हजार दो सौ पंचान्वे) • अतिरिक्त आवंटन की आवश्कता– 11.86 करोड़ (ग्यारह करोड़ छियासी लाख) 2. मझगांव–खैरपाल–जैतगढ़ पथ चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना • परियोजना की वास्तविक प्राक्कलित राशि–16.94 करोड़ (सोलह करोड़ चौरानवे लाख) • अब तक कुल प्राप्त आवंटन– 1.91 करोड़ (एक करोड़ एकानवे लाख) • भुगतान की गयी राशि– 1.91 करोड़ (एक करोड़ एकानवे लाख) • अतिरिक्त आवंटन की आवश्कता– 15.02 करोड़ (पन्द्रह करोड़ दो लाख) 3. तांतनगर–मझगांव भाया भरभरिया कुमांरडुगी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना • परियोजना की वास्तविक प्राक्कलित राशि–35. 58करोड़ (पैंतीस करोड़ अनठावन लाख) • अब तक कुल प्राप्त आवंटन– 3.80 करोड़ (तीन करोड़ अस्सी लाख) • भुगतान की गयी राशि–3.77 करोड़ (तीन करोड़ सत्तर लाख) अतिरिक्त आवंटन की आवश्कता– 31.78 करोड़ (इकतीस करोड़ अठहत्तर लाख)

कृ०पृ०उ०

2	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण आक्रोशित एवं परेशान है;	–तदैव–
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ में अधिग्रहित जमीन के रैयतों को मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यालय पत्रांक–359 (बी०) भू०अ०, दिनांक–08.07.2017 एवं कार्यालय पत्रांक–82 (बी०) भू०अ०, दिनांक–13.02.2018 के द्वारा अधियाची निकाय कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल चाईबासा एवं कार्यालय पत्रांक–850 (बी०) भू०अ०, दिनांक–29.12.2019, पत्रांक–299 (बी०) भू०अ०, दिनांक–29.08.2020 के द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार से अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी है :– 1- हाटगम्हरिया– बेनीसागर– पथ भाया बंलडिया भोडा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना में कुल 118633824.73 (ग्यारह करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ चौबीस रूपये तिहत्तर पैसे), 2- मझगांव–खैरपाल–जैंतगढ़ पथ चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना में कुल 150268980.96 (पन्द्रह करोड़ दो लाख अड़सठ हजार नौ सौ अस्सी रूपये एवं छियान्बे पैसे) 3- तांतनगर–मझगांव भाया भरभरिया कुमारडुगी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण परियोजना में कुल 317864004.74 (इकतीस करोड़ अठहत्तर लाख चौसठ हजार चार रूपये एवं चौहत्तर पैसे) रूपये। अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है। जिस कारण रैयतों का मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है। अधियाची निकाय से उक्त राशि का आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी०/भू०अ०नि० वि०स०(तारां०)–42/2021 – 115/ रा०, राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–558, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(226)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के भण्डरिया प्रखण्ड के बड़गड़ प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रीय स्थानीय व्यवस्था के तहत संचालित था ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्र को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीणों के बेहतर चिकित्सा उपचार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया था, परन्तु आज तक नव निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र भवन में सरकारी चिकित्सक, नर्स एवं स्टाफ की नियुक्ति नहीं किए जाने से ग्रामीणों के इलाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लोग आपातकालीन स्थिति में भण्डरिया या गढ़वा, पलामू की ओर भागते है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन क्षेत्रों के बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु डाक्टर, नर्स, स्टाफ एवं टेक्निशियन का पद स्थापन या प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	विभागीय संकल्प 162 (3) दिनांक–15.02.2019 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़गड़ के लिए दो चिकित्सकों का पद स्वीकृत किया गया है। IPHS के मानक के अनुसार पारामेडिकल एवं अन्य के 18 पदों की सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंडरिया के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर के अनुसार सोमवार को कार्य किया जाता है। श्रीमती संगीता टोप्पो, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) पदस्थापित एवं कार्यरत है, तीन ए0एन0एम0 तथा एक एम0पी0डब्लू पदस्थापित एवं नियमित रूप से कार्यरत है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-11/2021- 69(15) राँची, दिनांक– 03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 611 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के अवर सचिव

Tiwari

227 317
3/3/2021

श्रीमती सीता सोरेन माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक– 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–05 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सीता सोरेन माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता (मंत्री) माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत जामा एवं रामगढ़ प्रखण्ड में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है;	जामा विधान–सभा क्षेत्र में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ से दूर जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों पर छात्र–छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते है,	उत्तर– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामा विधान–सभा क्षेत्र में अविलम्ब आई0टी0आई0 बनाकर यहाँ के बच्चों का प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में दुमका जिलान्तर्गत जामा तथा रामगढ़ प्रखंड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :–5 / प्रशि0 (वि0स0)–06 / 2021 317 राँची, दिनांक 3/3/2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 551 वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।

(228)

13/नि. (विधान सभा) /2021........................

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री दुलु महतो मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा.–27 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री दुलू महतो, मा.स.वि.स.	जोबा मांझी माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड मुद्रांक नियमावली, 1954 (अंगीकृत) में संशोधन के निमित्त नियमावली, 2020 में गठित की गई है ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि गठित नियमावली की कंडिका–3 के पारा 4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ई–ग्रास मॉड्यूल द्वारा मुद्रांक शुल्क का भुगतान केवल दस्तावेज निबंधन के कार्य हेतु किया जाएगा, क्योंकि एक बार भुगतान के बाद इसे Deface करने की सुविधा है ;	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है, कि विभाग ने दस्तावेज के साथ–साथ गैर–न्यायिक मुद्रांक (NJS) का भी कार्य ई–ग्रास के माध्यम से किया जा रहा है और इसके Deface करने की कोई सुविधा नहीं होने से राज्य में भारी मात्रा में जालसाजी की जा रही है। जिसके कारण राज्य के कोष में भारी कमी हो रही है, ई–ग्रास द्वाराA4 पेपर पर मुद्रांक का प्रिन्ट हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक निबंधन के क्रम में सॉफ्टवेयर द्वारा मुद्रांक शुल्क के ऑनलाईन भुगतान के उपरांत जनित रसीद पर अंकित विशिष्ट संख्या को स्वतः लॉक कर दिया जाता है, जिससे इसके पुर्नउपयोग की संभावना नहीं है। इस व्यवस्था से पूर्व में ई–स्टाम्प की बिक्री पर सरकार द्वारा देय कमीशन की बचत हुई है, जिससे राज्य के कोष में वृद्धि हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई–ग्रास के माध्यम से सिर्फ दस्तावेज निबंधन का कार्य और गैर–न्यायिक मुद्रांक को पूर्व के तरह ई–स्टाम्प की व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	चूंकि ई–ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का भुगतान निबंधन कार्य हेतु सुगमता से किया जा रहा है तथा इससे कमीशन के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि की बचत हो रही है, अतः सरकार दस्तावेज निबंधन हेतु ई–ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क के ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था जारी रखना चाहती है।

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 04/2021 177 / नि. राँची, दिनांक... 4-3-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापक सं.प्र. 573, दिनांक–26.02.2021के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) /2021 177 / नि. राँची, दिनांक... 4-3-2021

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय (मुख्य) मंत्री (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 32 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन 229

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड में रेफरल अस्पताल निरसा भवन वित्तीय वर्ष 2008–09 में शुरू कराया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि विगत 10–12 वर्षों से रेफरल अस्पताल का भवन बनकर तैयार है तथा जलापूर्ति, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों के अभाव में बंद पड़ा है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि अब तक उक्त भवन हस्तगत नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को समुचित ईलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा जो अभी जी0टी0 रोड स्थित पुराने भवन में संचालित है एवं जिसकी दूरी उक्त नवनिर्मित भवन से लगभग 03–04 किलोमीटर है, के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवन हस्तगत करने तथा जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था, उपकरण व चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त कर वित्तीय वर्ष में अस्पताल चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद के माध्यम से कराया जा रहा है। विद्युत कार्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन हेतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा 1,22,45,659/– रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था, किन्तु प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद को दिया गया है, पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त कर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष कार्य पूर्ण कराकर स्वास्थ्य सेवाएँ बहाल की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 12/21– 215(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.03.2021
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 606/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
अवर सचिव।

230

डॉ० इरफान अंसारी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पुछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–15 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ० अरविन्द कुमार दास कई वर्षों से पदस्थापित हैं एवं उनके विरूद्ध ग्रामीणों द्वारा कतिपय शिकायतों के उपरान्त भी इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डॉ० अरविन्द कुमार दास, चिकित्सा पदाधिकारी, नारायणपुर प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिनांक 04.11.2013 से पदस्थापित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इनका स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	डॉ० दास, चिकित्सा पदाधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में आगामी स्थापना समिति में विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–07/2021 109(3) राँची, दिनांक 3/3/21

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 594/वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
सरकार के उप सचिव

231

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–श्र०नि०–03 की उत्तर सामग्री :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालयों में लाखों युवाओं के नाम दर्ज है जिन्हें अबतक सरकार द्वारा नियोजित नहीं किया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
(2)– यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित वैसे शिक्षित बेरोजगार, जो किसी भी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों, को 01 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने हेतु नई योजना "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

ज्ञापांक :–5/स्था०(नि०)वि०स०–6002/2021– 201 (नि०) राँची, दिनांक :– 03/03/2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं०–प्र० 549, वि०स० राँची, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–31 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चास एवं चंदनकियारी अंचलों का सर्वे सेटलमेंट का कार्य वर्ष 1982 से ही चल रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सर्वे सेटलमेंट में भारी गड़बड़ी, अनियमितता एवं रैयतों के विरोध के कारण वर्ष–2017–18 में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत् उक्त दोनों अंचलों में आई०आई०टी०, रूड़की के द्वारा सर्वे सेटलमेंट का कार्य प्रारंभ कराया गया था ?;	वर्ष 2017–18 में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत् उक्त दोनो अंचलों में आई०आई०टी० रूड़की के द्वारा सर्वे सेटलमेंट का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया था। बल्कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–434 / नि० रा० दिनांक–25.10.2019 द्वारा आई०आई०टी० रूड़की को कार्य सौंप गया है, परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों अंचलों में विवाद रहित सर्वे सेटलमेंट का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02 / भू०अ०प०नि० वि०स०(तारां०)–08 / 2021 – 155 / राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–558, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(233)

श्री संजीव सरदार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–22 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री संजीव सरदार, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, वर्त्तमान सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत मौजा–गौरी, थाना नं0–329 चाण्डिल की खाता नं0–125, प्लॉट नं0–502, 467, 506, 496 एवं 505 अंतिम सर्वे सेटेलमेंट वर्ष 1963–65 के खतियान में रैयतदार मोहन सिंह तथा कुमार सिंह एवं अन्य के नाम जाति भूमिज निवासी पुड़ी सिली दर्ज है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सर्वे खतियान में मौजा–गौरी, थाना नं0–329 चाण्डिल की खाता नं0–125, प्लॉट नं0–502, 467, 506 अन्तर्गत भूमि मोहन सिंह एंव अन्य खाता नं0–131, खेसरा नं0–496 अन्तर्गत भूमि मंगला सरदारीन एवं अन्य तथा खाता नं0–34 खेसरा नं0–505 अन्तर्गत भूमि गोविन्द भूमिज, नित्यानन्द भूमिज के नाम पर दर्ज है जो आदिवासी खाते की खतियान है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल के प्रतिवेदन में उल्लेखनुसार नामांतरण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि व्यवहार न्यायालय सिंहभूम में स्वत्व वाद संख्या–448/1967, 55/1973, 10/1972, 64/1961 एवं 1081/1936 के आधार पर वर्ष 1985–86 तथा 1968–69 में गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री जगरूप सिंह, पिता–स्व0 रामस्वरूप सिंह एंव इन्द्रासनी देवी, पति–जगरूप सिंह के नाम पर पंजी–II में जमाबंदी कायम हुआ है। तदनुसार जमाबंदी रैयतों के मृत्योपरान्त उत्तरजीवियों द्वारा निबंधित दलील संख्या–7461, दिनांक–15.12.2021 द्वारा 1. श्री अतुल टाँक, पिता–रतिलाल टाँक 2. अनहिता ए0 टाँक पति–श्री अतुल टाँक, निवासी–होल्डींग नं0–25, सी0एच0 एरिया(पूर्व), पोस्ट+थाना–बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम को बिक्री किये जाने पर नामांतरण वाद संख्या–143/2016–17 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चाण्डिल द्वारा दाखिल–खारिज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत जाति भूमिज अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) सूची के अन्तर्गत आते है, किन्तु इसके बावजूद इसके बिक्री केवाला संख्या–7461, दिनांक– 15.02.2011 के आधार पर नामांतरण वाद संख्या–143/2016–17, अंचल अधिकारी चाण्डिल द्वारा गैर आदिवासी 1. श्री अतुल टाँक, 2. अनहित ए0 टाँक के नाम पर दाखिल–खारिज स्वीकृत कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नियम के विपरित नामांतरण को जांच कर रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0(तारा0)–81/2021...1060../रा0, दिनांक–..04-03-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–581/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2021

सरकार के अपर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–02 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि टाटा लीज नवीकरण समझौता–2005 के समय एक अलग सूची 'डी' में जमशेदपुर की सूची–5 की बस्तियों को टाटा लीज से अलग कर दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि समझौता में उल्लेख है कि "The State may initiate steps to exclude such lands of encroached Basties from the lease after following due process of laws" ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि बस्तियों को टाटा लीज से बाहर करने के संबंध में विधि की कौन–सी प्रकिया अपनायी गयी है, बस्तियों को लीज से बाहर करने का कारण क्या था और सरकार लीज से बाहर की गई इन बस्तियों को मालिकाना हक देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्ष 1985 के लीज एकरारनामा की Schedule-V की भूमि को वर्ष 2005 के नवीकृत लीज डीड के Appendix-E में शामिल की गई है, इसमें अधिकांश भूमि अतिक्रमित है तथा अतिक्रमित भूमि पर तथाकथित बस्तियाँ अवस्थित है। कंपनी द्वारा इन अतिक्रमित भूमि को Appendix-E1 में सूचीबद्ध किया गया। टिस्को लीज भूमि का 01.01.1996 से अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए नवीकरण संबंधी राज्यादेश सं0–2776/रा0, दिनांक–19.08.2005 के कंडिका–(iv) में उल्लेखित किया गया है कि शिडयूल–V में अवस्थित 86 बस्तियों को लीज भूमि से अलग किया जायेगा। तदनुसार अतिक्रमित भूमि को नवीकृत लीज डीड से बाहर रखा गया, जिसमें उक्त 86 बस्तियाँ शामिल है। पुनः विभागीय अधिसूचना सं0–150/सर्वे, दिनांक–15.06.2006 के आलोक में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कुल–16 वार्डों में अवस्थित 86 बस्तियों के सर्वेक्षण (सर्वे) की गई है। वर्तमान में सरकारी भूमि पर वर्ष 1985 एवं उसके पूर्व से रह रहे व्यक्तियों के साथ अधिकतम 10 डिसमील तक आवासीय उदेश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु संकल्प सख्या– 817/रा0, राँची दिनांक–22.02.2018 निर्गत की गई है, जो उपरोक्त तथाकथित 86 बस्तियों के लिए भी प्रभावी है।

क्र0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4./वि0स0 (तारां0)–19/2021 1253(4)/रा., राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–562/वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के अवर सचिव

– श्री नारायण दास, माननीय मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि देवघर जिला सदर अस्पताल सहित प्रखण्ड क्रमशः देवघर, देवीपुर व मोहनपुर अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक व चिकित्सक कर्मियों का घोर अभाव है, जिससे स्थानीय को चिकित्सा लाभ लेने में कठिनाईयाँ हो रही है;	अस्वीकारात्मक । वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग, देवघर जिला में कुल 48 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है जिसमें कि सदर अस्पताल, देवघर में 13 चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र, मोहनपुर में 03 चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवीपुर में विभाग के द्वारा पद सृजित नहीं रहने के कारण उक्त संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य लिया जा रहा है एवं जनहित में स्थानीय को चिकित्सा लाभ दिया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है, कि सदर अस्पताल डिजिटल एक्सरे, ई0सी0जी0 के अलावे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है तथा उक्त प्रखण्ड के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में एक्सरे तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल देवघर में एक्स–रे एवं अन्य जाँच सुविधाएं यथा लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, सरकारी स्तर पर की जा रही है तथा ई0सी0जी0 तकनीशियन के अभाव में ई0सी0जी0 नहीं हो पा रहा है। सदर अस्पताल देवघर में Health Map Diegonistic Pvt. Ltd. के साथ MOU के तहत् PPP Mode पर Digital X-Ray Ultrasonography तथा SRL Pvt.Ltd. के साथ MOU के तहत PPP Mode पर पैथोलॉजी जाँच की विभिन्न सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही है। इसके अलावे में Health Map Diegonistic Pvt. Ltd. के द्वारा CT Scan मशीन का अधिष्ठापन हेतु कार्य प्रगति पर है।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्ड अन्तर्गत सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में लेब टेकनीशियन तथा एंबुलेंस भी उपलब्ध नहीं है तथा जिस स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन भी हैं वहाँ चालू नहीं किया जा सका है;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य विभाग, देवघर जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल देवघर CHC जसीडीह एवं CHC मोहनपुर में Lab Technician पदस्थापित एवं कार्यरत है तथा CHC देवीपुर में विभागीय स्तर से Lab Technician का पद सृजित नहीं रहने के कारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर Lab Technician का कार्य लिया जा रहा है। सदर अस्पताल देवघर में Tata winger, CHC जसीडीह में Maruti Eco Ambulance का संचालन कोविड–19 का सैंपल कलेक्शन के लिए जिला द्वारा किया जा रहा है। एवं CHC मोहनपुर में Tata Sumo Ambulance की सुविधा प्रदान की गयी है। सदर अस्पताल देवघर में एक्स–रे मशीन अधिष्ठापित एवं कार्यरत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में स्थापित पूरे स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों यथा–लैब टेकनीशियन, एक्सरे मशीन, महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था उपलब्ध कराकर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं 1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–18/2021...74(15)   राँची, दिनांक–...03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–613 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

236

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–34 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	जे०एस०पी०एल० (जिंदल) के द्वारा सन–2007–08 में परियोजना स्थापित करने हेतु सैकड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी है;		जे०एस०पी०एल० (जिंदल) परियोजना स्थापित करने हेतु जिला भू–अर्जन कार्यालय, रामगढ़ द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्षों पूर्व अधिग्रहण के पश्चात् आजतक किसी परियोजना का अधिष्ठापन अधिग्रहित क्षेत्र में नहीं की गई है, जबकि सरकारी नियमानुसार अधिग्रहित भूमि पर परियोजना आदि अधिष्ठापित नहीं होने पर उक्त भूमि संबंधित भू–स्वामी को हस्तांतरित करने का प्रावधान है,;		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिग्रहित भूमि पर परियोजना अधिष्ठापित नहीं होने की स्थिति में संबंधित भूमि, भू–स्वामी को वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी./भू.अ.नि.वि.स.(तारां.)–37/2021...110...(8)/नि.रा., राँची, दिनांक–04.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–576/वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव।

श्री केदार हजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के खड़गडीहा में वर्षों से आयुर्वेदिक औषधालय एवं चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मी का पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मी के पद रिक्त रहने के कारण स्थानीय जनता को सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय की चिकित्सा पद्धति के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आयुर्वेदिक औषधालय खड़गडीहा में औषधीय चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी के रिक्त पद को बहाल करते हुए पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य में आयुष चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्ति करने के लिए सरकार संवेदनशील है। इसी क्रम में आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित रोस्टर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सभी प्रक्रिया पूरी कर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 20/आयुष–वि0स0–08/2021..59(20) रॉची, दिनांक–03.03.2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–600 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के उप सचिव।

jully kumari

238

माननीय स0 वि0 स0 श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0– 29 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के अमानत बराज योजना में किसानों के कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन आज तक लगभग 30 वर्ष बीतने के बाद भी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है;	अस्वीकारात्मक। अमानत बराज योजना में आवश्यक रैयती भूमि 500.79 है० में से अबतक मात्र 386.248 है0 का अधिग्रहण किया गया है जिसके मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। शेष 114.551 है0 भूमि हेतु भू अर्जन लंबित है।
2	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भू–अर्जन विभाग को एक मुश्त आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। अमानत बराज योजना के उक्त शेष 114.551 है0 भूमि का भू अर्जन कार्य हेतु रूपये 42.51 करोड़ मात्र अवशेष राशि का आवंटन लंबित है।
3	क्या यह बात सही है कि भू–अर्जन विभाग के द्वारा आज तक किसानों के जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में भू–अर्जन विभाग के प्रति आक्रोश का स्थिति उत्पन्न हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। पौंकी प्रखंड अवस्थित नुरू एवं चन्द्रपुर ग्राम का खतियान जीर्ण–शीर्ण रहने के कारण भू अर्जन एवं मुआवजा भुगतान लंबित है। इसके संबंध में प्राप्त जन शिकायत के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अमानत बराज के विस्थापित किसानों को अविलम्ब मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1346 रांची, दिनांक– 04/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा रांची को उनके ज्ञापांक सं0– 559, दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4-3-21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रांची

239

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–12 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है डालटनगंज निर्वाचन क्षेत्र के मण्डरिया प्रखण्ड के अन्तर्गत आनेवाले बड़गड़ प्रखण्ड में अंचल कार्यालय नहीं रहने के कारण ग्रामीणों का कार्य ससमय नहीं हो पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय के अभाव में वहा के किसान एवं आवासीत व्यक्तियों को एवं छात्र/छात्राओं के कई कार्य अंचल से होता है जिसके निष्पादन हेतु मण्डरिया प्रखण्ड या गढ़वा जिला आना पड़ता है जिसमें वहां के लोगों के काफी कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनता के उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़गड़ प्रखण्ड में अंचल कार्यालय का दर्जा तथा अंचलाधिकारी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभाग के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5495, दिनांक–16.10.2015 में निहित प्रखण्डों के सृजन/गठन हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया के आलोक में गढ़वा जिलान्तर्गत मण्डरिया प्रखण्ड के अन्तर्गत आनेवाले बड़गड़ प्रखण्ड में जनहित में बड़गड़ अंचल कार्यालय सृजन/गठन की आश्यकता होने पर अंचल सृजन/गठन के संबंध में स्पष्ट मंतव्य एवं अनुशंसा सहित प्रस्ताव गठित कर प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/राज0स्था0वि0स0 (तारां0)–08/2021 1058 (4)/रा., राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.प्र.–556/वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\bidhan sabha\Robin bidhansabha Question Answer\Ques Ans March 2021.docx

240

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि प0 सिंहभूम जिला में सिविल सर्जन सदर चाईबासा के पत्रांक–696, दिनांक 06 अगस्त, 2020 को ईमेज इंडिया फार्म, आदित्यपुर को 1050 रूपये प्रति पीपीई किट आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि कार्यालयादेश निर्गत होने के दो दिनों के उपरान्त ही कर्यालयादेश के विरूद्ध राँची के आरूपी इन्टरप्राईजेज फार्म द्वारा सदर अस्पताल, चाईबासा को पी0पी0ई0 किट आपूर्ति किया गया;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि केन्द्र सरकार व उपायुक्त, चाईबासा के आदेश के विरूद्ध अस्पताल प्रबंधन द्वारा 280 रूपये के किट को 1050 में खरीदी गई है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपायुक्त, चाईबासा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कार्यालय पत्रांक–110 (MD), दिनांक–08.01.2021 के द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है तथा राज्य स्तर से गठित जाँच समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति के अन्य सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–21/विधानसभा–06–01/2021-07 (21) स्वा0/राँची, दिनांक 4-3-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–612/वि0 दिनांक 26.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

241

श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने तारांकित प्रश्न संख्या–स–11 उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि फूलों झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी–2019 में किया गया, जहां MBBS की पढ़ाई वर्ष–2019–20 सत्र से शुरू हुई।	आंशिक स्वीकारात्मक। फूलों झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग एवं मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी–2019 में किया गया, जहाँ MBBS की पढ़ाई वर्ष–2019–20 सत्र से शुरू हुई।
2	क्या यह बात सही है, कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने उक्त तीनों मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं और फैकल्टी की कमी का हवाला देकर वर्ष–2020–21 के लिए होने वाले नामांकन पर रोक लगा दी है।	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा नामांकन पर रोक लगाए जाने से यहाँ के 355 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।	अस्वीकारात्मक। सत्र–2020–21 में नामांकन के अनुमति नही प्राप्त होने से 2019–2020 के सत्र में तीनों नये चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकित छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित नही होगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य हित को देखते हुए उक्त मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक आधारभूत संरचना अतिशीघ्र उपलब्ध कराते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों।	उक्त तीनों मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक आधारभुत संरचना अतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु विभाग के स्तर से समर्पित प्रयास किये जा रहें है, तथा काफी कमियों को दूर कर लिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 9/विधायी–06–05/2021–72(9) राँची, दिनांक–3/3/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0– प्र0–593 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.3.2021

सरकार के अवर सचिव

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–मद्य 01 का उत्तर

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि करीब 2000 विदेशी शराब दुकान की अनुज्ञप्ति मार्च, 2020 में संपूर्ण राज्य अंतर्गत समर्पित (Surrender) किये गये हैं;	अस्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल बंदोबस्त 670 विदेशी शराब दुकानों में से 115 विदेशी शराब दुकानों द्वारा नवीकरण वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नहीं कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्त वर्ष 2019–20 का ऑडिट कार्य सम्पन्न होने के बाद भी उक्त दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षित जमा राशि एवं अतिरिक्त जमा शेष राशि का भुगतान अबतक नहीं किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक । उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी क्षेत्रीय/जिला उत्पाद कार्यालयों का वित्तीय वर्ष 2019–20 का ऑडिट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अद्यतन मात्र पाँच (5) जिला उत्पाद कार्यालय क्रमशः हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, कोडरमा एवं गिरिडीह का ही ऑडिट कार्य सम्पन्न हुआ है। "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" के नियम 23 (3) में वर्णित है कि – "प्रतिभूति राशि/सुरक्षित जमा राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा संबंधित अनुज्ञाधारियों को प्रतिभूति राशि को अविलंब वापस करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।"
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त समर्पित दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को लंबित राशि का भुगतान (सुरक्षित एवं अन्य जमा राशि) करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी प्रकार के बकाया इत्यादि की जाँच के उपरांत सरकारी बकाये को समायोजित कर अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा शेष प्रतिभूति राशि को वापस करने का आदेश विभागीय पत्रांक 159 दिनांक 27.01.2021 द्वारा सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, झारखंड को निर्गत है। इस राशि को शीघ्रातिशीघ्र वापस करने के लिए विभाग कृत संकल्पित है।

झारखंड सरकार,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक :– 04/विधायी–04–15/2021– 410 / राँची दिनांक– 03/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं० प्र– 587/वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.21

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

243

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड प्रदेश के सभी अंचलों में भूमि संबंधित दस्तावेज पुराना रजिस्टर–2 है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भूमि से संबंधित दस्तावेजों में रजिस्टर–II के अतिरिक्त सर्वे खतियान भी है।
2	क्या यह बात सही है कि रजिस्टर–2 ऑन–लाईन नहीं होने से म्युटेशन कराने के बाद भी पूर्व के जमीन बिक्रेता का ही नाम दर्ज दिखाई पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। सभी रजिस्ट्र–II ऑनलाईन कर दिया गया है। जिस रैयत के जमीन का ऑनलाईन म्यूटेशन किया जाता है उसका नाम स्वतः ऑनलाईन रजिस्टर–II में अद्यतन हो जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुरानी रजिस्टर–2 को भूमि संबंधी दस्तावेज को ऑन–लाईन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 1/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां)–15/2021 158/Gen राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–566/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2021

सरकार के अवर सचिव।

(२५५)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत मिहिजाम नगर परिषद्, पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले से सटा हुआ है एवं मिहिजाम में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को मजबूरी में बंगाल जाना पड़ता है	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला अन्तर्गत मिहिजाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। उक्त संचालित केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मी निम्नवत् रूप में कार्यरत रहते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते है। चि0पदा0–01, लिपिक–01, ए0एन0एम0–10, फार्मासिस्ट–01, प्रयोगशाला प्रावैधिक–01, स्वा0 प्रशि0–01, पु0कक्ष सेवक–01, महि0 कक्ष सेविका–01 कार्य कर रहे है।
2.	क्या यह बात सही है, कि गरीब लोग बंगाल नहीं जा पाते हैं तथा उन्हें चिकित्सा हेतु घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहिजाम में स्थानीय लोगो को सामुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है विशेष परिस्थिति में बेहतर ईलाज हेतु पी0एम0सी0एच0 धनबाद रेफर किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मिहिजाम नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–06/2021-66(15) राँची, दिनांक– 03.03.2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–596 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–18 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत सी०सी०एल० द्वारा एन० के एरिया में चुरी परियोजना को वर्ष 1980 के दशक में शुरू किया गया था ;	चुरी भूमिगत परियोजना एन० के० क्षेत्र के अन्तर्गत के जमीन का अधिग्रहण सन् 1980 में Churi Re-Organization के भाग के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसमें 1989 में कोयला का उत्पादन शुरू की गई थी।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त परियोजना हेतु 1000 (एक हजार) एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था जिसमें 48 (अड़तालीस) एकड़ भूमि रैयती है ;	इस परियोजना का भूमिगत खदान के लिए 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 896.60 एकड़ वन भूमि एवं शेष 103.40 एकड़ गैर वन भूमि है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1985 में रैयतों को नोकरी एवं मुआवजा देने के लिए फार्म (Form) भरवाया गया था, परन्तु आज तक नौकरी या मुआवजा नहीं दिया गया है;	कार्यालय के उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1985 में रैयतों को किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए Form नहीं भरा गया था। समस्त रैयतों को जमीन का मुआवजा सन् 2007 में भुगतान किया जा चुका है।
	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रैयतों को नौकरी या मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कम्पनी के नियमानुसार रैयतों के नौकरी संबंधित दस्तावेज प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी०/भू०अ०नि० वि०स०(तारां०)–44/2021-114/रा०मं०, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–583, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21
सरकार के अवर सचिव।

246

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–25 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला अंतर्गत कार्यरत ECL प्रबंधन द्वारा CB Act का उल्लंघन कर तेतरिया मौजा पर रैयतों को पुनर्वासित किया गया है साथ ही वर्ष 1992 से 2018 तक विभिन्न मौजा में CB Act का उल्लंघन कर 2507 रैयतों को पुनर्वासित किया गया है;		ECL प्रबंधन द्वारा अंचल बोआरीजोर अन्तर्गत विभिन्न मौजा–तेतरिया, लोहण्डिया बस्ती, हिजुकित्ता, नीमाकला, डकैता, ललमटिया एवं बड़ा सिमरा में विस्थापित रैयतों को पुनर्वासित किया गया है एवं किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजमहल परियोजना ललमटिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तेतरिया मौजा में खनन कार्य हेतु कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम द्वारा अधिगृहित जमीन पर रैयतों को पुनर्वासित किया गया है। साथ ही वर्ष–1992 से 2018 तक विभिन्न मौजा में 2507 रैयतों को पुनर्वासित किया गया है। उपरोक्त पुनर्वासिब्र की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है, कि जिला प्रशासन द्वारा कई बार ECL प्रबंधन को खण्ड–1 के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गई थी जो अब तक अप्राप्त है;		उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–395/रा., दिनांक–28.7.2014 के द्वारा मुख्य महाप्रबंधक राजमहल परियोजना ECL ललमटिया से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जो अब तक अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच हेतु उच्चस्तरीय जाँच कमिटी बनाते हुए वर्ष 1992 से 2018 तक ECL प्रबंधन द्वारा CB Act एवं LA Act के उल्लंघन की जाँच कराने का विचार रखती है, ताकि SPT Act का सख्ती से पालन किया जा सके, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		गोड्डा जिलांतर्गत ई0सी0एल0 द्वारा CBA Act के तहत अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान एवं रैयतों को R&R (पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन) की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्र सं0–488, दिनांक– 06.07.2017 एवं पत्रांक–668, दिनांक–14.09.2017 द्वारा संयुक्त सचिव, भू–संसाधन विभाग, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को एवं पत्रांक–11, दिनांक–07.01.2021 द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड, संक्तोरिया, जिला–वर्द्धमान, पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया गया है। निदेश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी./भू.अ.नि. वि.स.(तारां.)–39/2021...117.....(8)/नि.रा., राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–563/वि.स., दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव।

247

श्रीमती ममता देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–36 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती ममता देवी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि Jharbhoomi.nic.in की ऑनलाईन प्रक्रिया में भारी हेरफेर की गई एवं की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। भू–अभिलेखों के ऑनलाईन प्रक्रिया में कुछ त्रुटियाँ हुई है। जिनका सुधार रैयतों से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचलों द्वारा की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हेरा–फेरी के कारण जमीन की वास्तविक मालिकों का अहित हो रहा है हेरा–फेरी में हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचलाधिकारी, उच्चाधिकारियों के साथ–साथ ऑनलाईन प्रविष्ट करनेवाली एजेंसी के लोग शामिल है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 और 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमीन ऑनलाईन प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को अविलंब दुरूस्त करते हुए रैयतों का अहित ना हो ऐसी व्यवस्था करने तथा ऑनलाईन फर्जीवाड़े में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 1/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां)–16/2021 157/Gn राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–554/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

13/नि. (विधान सभा) 02 /2021 179 /नि०

(248)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

डॉ. नीरा यादव मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा.–35 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ. नीरा यादव मा.स.वि.स.	जोबा मांझी माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है, कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के सभी जिलों के अनुपात में कोडरमा जिला अन्तर्गत फ्लैटों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में त्रुटियाँ है, जिसे विभाग द्वारा सुधार नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक :– भूमि एवं फ्लैट का न्यूनतम मूल्य निर्धारण, इस संबंध में अधिसूचित न्यूनतम मूल्य नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सम्प्रति न्यूनतम मूल्य नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कोडरमा जिलान्तर्गत फ्लैट का न्यूनतम मूल्य अधिक निर्धारित हो जाने के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त हुई है जिसपर जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–35, दिनांक–03.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक–05.01.2021 को न्यूनतम मूल्य नियमावली, 2018, के प्रावधानों के आलोक में न्यूनतम मूल्य निर्धारण में विसंगति के निराकरण हेतु उपायुक्त, कोडरमा की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई है। समीक्षोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी पुनरीक्षण की तिथि दिनांक–01.08.2021 के पूर्व पुनः समिति की बैठक कर फ्लैट के न्यूनतम मूल्य निर्धारित मूल्य की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
2.	क्या यह बात सही है, कि फ्लैटो के लिए निर्धारित दर के अनुरूप नगर पर्षद, झुमरी तिलैया में पूर्व के वर्षो में जितने फ्लैटो का निर्माण किया गया है, उसमें मात्र 2 से 5 प्रतिशत तक ही फ्लैटों का निबंधन कराया गया है, जिससे राजस्व की क्षति हुई है ;	अस्वीकारात्मक :– नगर पर्षद् झुमरी तिलैया में निर्मित फ्लैटों का निबंधन पक्षकारों द्वारा कराया जाता है। विगत तीन वर्षों में फ्लैटों की निबंधन की संख्या एवं इनसे प्राप्त राजस्व निम्नवत है :– (तालिका नीचे) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि झुमरी तिलैया क्षेत्रान्तर्गत फ्लैटों के निबंधन से राजस्व की हानि ना होकर लगातार राजस्व की वृद्धि हुई है।
3.	क्या यह बात सही है, कि जिला अवर निबंधक, कार्यालय कोडरमा के पत्रांक–208, दिनांक–16.07.2015 द्वारा निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, झारखण्ड रांची को प्रेषित की गयी थी, जिसमें पूर्व निर्धारित फ्लैट के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सुधार करना था ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक :– उपायुक्त–सह–जिला निबंधक विभागीय अधिसूचना संख्या–643, दिनांक–06.10.2018 द्वारा भूमि एवं फ्लैट के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संशोधित नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण में विसंगति की सूचना प्राप्त होने पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	वर्ष	निबंधित फ्लैट की संख्या	फ्लैटों के निबंधन से प्राप्त राजस्व
1	2018	25	7,99,181
2	2019	16	9,40,691
3	2020	13	32,48,466

Assembly Que 05-03-2021 Neera Yadav Copy.doc

P.T.O

4.	क्या यह बात सही है, कि उक्त वर्णित समस्या के निराकरण हेतु उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा मार्च, 2020 में यह सूचित किया गया था कि इस संबंध में फ्लैट निर्माताओं के साथ बैठक कर सकारात्मक निर्णय ले ली जायेगी;	स्वीकारात्मक :– दिनांक–05.01.2021 को फ्लैट के न्यूनतम मूल्य निर्धारण के संबंध में विसंगति की जांच हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक की गई है तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनांक–01.08.2021 को होने वाले न्यूनतम मूल्य पुनरीक्षण के समय पुनः समिति की बैठक आयोजित की जाएगी तथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फ्लैट निर्माताओं के उक्त समस्या का निराकरण करते हुए फ्लैट निबंधन जनहित में न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	इस संबंध में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–35, दिनांक–03.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक–01.08.2021 को प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य पुनरीक्षण के समय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैठक कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 02 /2021 179/नि॰ रॉंची, दिनांक 4-3-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं.प्र.577, दिनांक–26.02.2021के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 02 /2021 179/नि॰ रॉंची, दिनांक 4·3·2021

प्रतिलिपि:– माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड प्रदेश में कर्मचारी, पंचायत सेवक, प्रखंड कर्मी के लिए कार्यालय सहित आवास का निमार्ण कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कार्यालय सहित आवास होने के बाद भी कर्मचारी, पंचायत सेवक, प्रखण्ड कर्मी अन्यत्र जगह रहते है; जिससे आम जनमानस का सही समय पर कार्य नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। सभी कर्मी मुख्यालय में रहकर कार्य का निष्पादन करते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कर्मचारी, पंचायत सेवक, प्रखण्ड कर्मी को अपने आवासीय कार्यालय में रहने का निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1041, दिनांक–04.03.2021 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त को अंचल/प्रखण्ड स्तर के सभी पदाधिकारी/कर्मियों को आवासीय कार्यालय में रहने के लिए अपने स्तर से निदेशित करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 3/अ०क्षे०स्था० वि०स० (तारांकित)–21/2021.1047.(3)/रा० राँची, दिनांक 04.03.2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–564/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04-3-21

सरकार के अवर सचिव

256

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तरांकित प्रश्न संख्या–रा0–15 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न		उत्तर
	श्री अनंत कुमार ओझा माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान की सारी कार्य पूर्ण कर ली गई है ;		साहेबगंज जिला अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों में साहेबगंज बंदरगाह, NH-80 पथ, PWD पथ, R.O.B. (Road Over Bridge), पान बगान, सरकण्डा सहित अन्य योजनाओं में भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिग्रहित भूमि के विरूद्ध रैयतों को राशि का भुगतान किया जा चुका है ;		साहेबगंज जिला अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों में साहेबगंज बंदरगाह संबंधित रैयतों में से 97% रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। अन्य योजना यथा NH-80 पथ, PWD पथ, R.O.B. (Road Over Bridge), पान बगान, सरकण्डा सहित अन्य योजनाओं में भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधियहित भूमि के विरूद्ध रैयतों को राशि का भुगतान किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपूर्ण भू–अर्जन प्रक्रिया को पूर्ण कराकर योजनाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		साहेबगंज जिला अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के उपरांत योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी0/भू0अ0नि0वि0स0 (तारां0)–38/2021 118 (8)/नि.रा. राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.प्र.–578/वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/21
सरकार के अवर सचिव

251

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 39 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड़ प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण NREP द्वारा कराया जा रहा था जो आधा–अधुरा कार्य कर छोड़ दिया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित भवन निर्माण में विभाग के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों से बालू, छड़, सीमेंट इत्यादि लिया गया था जिसका भुगतान भी आज तक नहीं किया गया, साथ ही स्थानीय मजदूरों का भी मजदूरी का भुगतान बकाया है ;		अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि अस्पताल भवन निर्माण में विभागीय पदाधिकारी के उदासीनता के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआडांड के पुराने भवन में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल भवन निर्माण कार्य में संलिप्त दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल भवन निर्माण अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआडांड के भवन निर्माण योजना का कार्य उपायुक्त, लातेहार द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी एन0आर0ई0पी0, लातेहार के माध्यम से कराया जा रहा था। योजना के निर्माण कार्य में संलिप्त श्री कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार के द्वारा निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र "क" में) गठित कर उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग झारखण्ड,राँची को उपायुक्त, लातेहार द्वारा अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में महुआडांड में अनुमण्डल अस्पताल के भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 13/21– 216(6) स्वा0, राँची, दिनांक 04·03·2021

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 596/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

अवर सचिव।

252

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा अंचल में अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक व अमीन के पद विगत 10 वर्षों से रिक्त है, जिसे प्रभार पर काम चलाया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं0–848, दिनांक–25.02.2021 के द्वारा श्री नंद कुमार राम, झा0प्र0से0 को अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद, अधिसूचना सं0–879, दिनांक–25.02.2021 द्वारा श्री राजीव नीरज, झा0प्र0से0 को अंचल अधिकारी, हैदरनगर, अधिसूचना सं0–911, दिनांक–25.02.2021 द्वारा श्री यशवंत नायक, झा0प्र0से0 को अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज, पलामू, अधिसूचना सं0–870, दिनांक–25.02.2021 द्वारा श्री वासुदेव राय (राजस्व) को अंचल अधिकारी, हरिहरगंज, पलामू के पद पर पदस्थापित किया गया है। पदाधिकारियों की कमी के कारण अंचल अधिकारी, पिपरा के पद पर नियमित पदस्थापन नहीं किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होने के पश्चात् पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती अनिता केरकेट्टा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पिपरा, पलामू को अंचल अधिकारी, पिपरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। **अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो** की कमी के कारण उक्त पाँच अंचलों में अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो का पदस्थापन नहीं किया गया है। हुसैनाबाद एवं हरिहरगंज अंचल में अमीन पदस्थापित है तथा शेष तीन अंचलों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् हुसैनाबाद अंचल में पदस्थापित अमीन से हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज अंचल में तथा हरिहरगंज में पदस्थापित अमीन से पिपरा अंचल में **अमीन** का कार्य कराया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अंचल में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को ही अंचल पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है, जिससे अत्यधिक कार्य के दबाव होने के कारण आमजनों की समस्याओं का ससमय निष्पादन नहीं हो पाता है, जिससे आमजनों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

3	क्या बात सही है कि संपूर्ण पलामू जिले में सिर्फ खण्ड–1 में वर्णित पांचों अंचलों का ही हाल सर्वे का खतियान ऑनलाईन किया गया है, जो बेहद त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण पूरे जिले में सबसे ज्यादा भूमि विवाद का मामला इन्हीं पांचों अंचलों से आता है ;	हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज एवं पिपरा अंचल का ही हाल सर्वे का अंतिम प्रकाशन कर खतियान ऑनलाईन किया गया है, शेष अंचलों के कैडस्ट्रल सर्वे का खतियान ऑनलाईन किया गया है। डिजिटाईजेशन में हुई त्रुटियों का निराकरण आवश्यक राजस्व कागजातों के आधार पर जांचोपरांत सुधार की जा रही है।
4	क्या बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में अमीन की घोर कमी है, जिसके वजह से जमीन मापी के कार्य में काफी समय लगता है, अमीन की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् आउटसोर्सिंग किया जा सकता है ;	स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा कुल 188 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके आलोक में मात्र 64 अभ्यर्थी ही सफल रहें, जिसके कारण अमीनों की कमी रह गयी है। राजस्व विभाग अंतर्गत अमीन के दो सौ (200) रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु पुनः जिलों से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत अधियाचना प्राप्त कर नियुक्ति की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। विभाग में आउटसोर्सिंग मद के अंतर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा अमीन के सेवा प्राप्त करने का प्रावधान है एवं इसके लिए बजट उपबंध भी उपलब्ध है, जो सभी उपायुक्त को समय–समय पर उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त आवश्यकतानुसार अमीन की सेवा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा अंचल में यथाशीघ्र अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक व अमीन की पदस्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में अंचल अधिकारी के पदस्थापन के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। अगामी स्थापना समिति की बैठक में पलामू जिले के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा अंचल में अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो के पदस्थापन के संबंध में विचार की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 3/अ0क्षे0स्था0 (तारां0)–19/2021-1042 (3)/रा0 राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–565/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2021

सरकार के उप सचिव

253

श्री बंधु तिर्की, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–07 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न		उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गैरमजरूआ भूमि मौजा–कुटे टोली, थाना–जगन्नाथपुर, खाता सं0–144, प्लॉट सं0–887, रकबा–05 एकड़ को श्री श्री रविशंकर की संस्था "विकास केंद्र इंडिया" को मात्र 01 रूपये टोकन राशि पर हस्तांतरित कर दिया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल ग्रामीणों के धरोहर के रूप में विद्यमान है तथा ग्राम–भुसूर, गढ़खटंगा, चंद्राघारी, कुटे टोली और ओवरिया के ग्रामीणों द्वारा पशुओं के धारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है ;		जमीन का किस्म टोंगरी है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए हस्तांतरित की गयी थी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त हस्तांतरित गैर मजरूआ भूमि को रद्द करते हुए जनोपयोगी कार्य में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0 राँची (तारां0)–17/2021/054 (4)/रा., राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.प्र.–568/वि.स., दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021
सरकार के अवर सचिव

254

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–11 का प्रश्नोत्तर :–

क्र	प्रश्न		उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में सरिया प्रखण्ड की अंचलाधिकारी के द्वारा बालु एवं दाखिल खारिज को लेकर अवैध वसूली व अन्य शिकायत होती रही है ;		अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया ने अपनी लिखित रिर्पोट में (पत्रांक–370, दिनांक–20.03.2020) उपायुक्त को बताये हैं कि इनके द्वारा निष्पक्ष होकर सरकारी दायित्व निर्वाह करना मुश्किल है। जबकि कार्मिक विभाग ने (पत्रांक–2649, दिनांक–02.06.2020) उपायुक्त, गिरिडीह को इनके उपर आरोप पत्र गठित करने हेतु लिखा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्कालीन अंचलाधिकारी सुनिता कुमारी को निलम्बन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है जिसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9 / आरोप–गिरिडीह (वि.स.तारां.)–61 / 2021 1059 (9) / रा., राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–557 / वि.स., दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

255

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 41 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगो का मुख्य पेशा खेती किसानी व मजदुरी है:	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तीनों प्रखण्ड– शिकारीपाड़ा, रानेश्वर एवं काठीकुंड से दुमका जिला मुख्यालय/सदर अस्पताल की दुरी क्रमशः 25–40–25 कि0मी0 है:	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में X-Ray मशीन नहीं होने के कारण लोगो को काफी परेशानी होती है तथा समय श्रम, व धन का व्यय होता है :	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। (उपरोक्त तीनों प्रखण्डों के मरीजो को एक्स–रे की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में दुमका के फुलो–झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक्स–रे करवाया जाता है एवं इस हेतु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है।)
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों में X-Ray सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–3 में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–16/2021-73(15) राँची, दिनांक– 03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–601 वि0स0, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

256

315
3/3/2021

श्री केदार हजरा माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक– 05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–04 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हजरा माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता (मंत्री) माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधान–सभा क्षेत्र के जमुआ एवं देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थानीय युवाओं का रोजगार हेतु एक भी औद्योगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण स्थानीय गरीब युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण कार्य से वंचित होना पड़ रहा है तथा गरीब युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्राप्त नहीं हो रहा है;	जमुआ विधान–सभा क्षेत्र में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ विधान–सभा क्षेत्र के जमुआ या देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में गिरीडीह जिलान्तर्गत जमुआ तथा देवरी प्रखंड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :–5/प्रशि0 (वि0स0)–05/2021 315 राँची, दिनांक 3/3/2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 550 वि0स0 दिनांक 26.02.21 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।

(257)

श्री दीपक बिरुवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.03.2021 को सदन में पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स-23 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि राज्य निर्माण के 20 वर्षों के बाद भी प0 सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में बर्न केयर युनिट की स्थापना नहीं की गई है ;	पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा में 10 शय्या बर्न केयर युनिट का निर्माण हुआ है। बर्न केयर युनिट का हस्तांतरण जनवरी, 2017 में प्राप्त है, परन्तु विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा- Plastic Surgeon, Chest Physician, Psychiatrist, General Surgeon आदि की पदस्थापन नहीं होने के कारण तथा बर्न केयर युनिट हेतु आवश्यक उपकरणों के अभाव में बर्न केयर युनिट शुरू नहीं किया जा सका है।
2. क्या यह बात सही है, कि बर्न केयर युनिट की स्थापना नहीं होने के कारण मरीजों को अन्य जिलों पर ईलाज के लिये निर्भर रहना पड़ता है तथा समय समुचित ईलाज नहीं होने के कारण जान गंवाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, चाईबासा में उपलब्ध संसाधनों से यथा संभव मरीजों का उपचार किया जाता है।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में बर्न केयर युनिट विशेषज्ञ चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर बर्न केयर युनिट को चालु कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार इस दिशा में समुचित आकलन कर इसे प्रारम्भ करने के लिये समुचित कार्यवाही करेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-15/वि0स0-07-14/2021 – 71 (15) स्वा0/राँची/दिनांक-03-03-2021

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-607/वि0स0 दिनांक-26.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

Tiwari

258

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–23 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव प्रखण्ड के ग्राम जुगरा एवं आराहारा में एन०टी०पी०सी० पंकरी बरवाडीह कोल माइंस के द्वारा बगैर भू–स्वैतों से वार्त्ता कर एवं बिना मुआवजा कर एवं बिना मुआवजा भुगतान किए मौजा जुगरा के खाता नं०–123, प्लॉट–41, रकवा–1 एकड़, 28 डीसमील, खाता नं०–43, प्लॉट नं०–1091, रकवा–92 डीसमील व खाता नं०–09, प्लॉट नं०–1073, रकवा–32 डीसमील, खाता नं०–03 प्लॉट नं०–186, रकवा–86 डीसमील तथा खाता नं०–46, प्लॉट नं०–214, रकवा–86 डीसमील और मौजा आराहारा खाता नं०–118, प्लॉट नं०–248/249, रकवा–02 एकड़, 10 डीसमील पर कन्वेयर बेल्ट के लिए गढ़ा खोदकर अवैध निमार्ण तथा खनन कार्य किया जा रहा है ;	मौजा–जुगरा के खाता सं०–123, प्लॉट सं०–41, रकवा–1.28 ए० गैरमजरूआ भूमि है। खाता सं०–43, प्लॉट सं०–1091, रकवा–0.92 ए०, खाता सं०–09, प्लॉट सं०–1073, रकवा–0.26 ए०, खाता सं०–03, प्लॉट सं०–186, रकवा–0.77 ए०, खाता सं०–46, प्लॉट सं०–214, रकवा–0.08 ए० एवं मौजा–आराहरा के प्लॉट सं०–248, रकवा–0.19 ए० एवं प्लॉट सं०–249, रकवा–0.57 ए० का भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत मौजा–जुगरा का एवार्ड दिनांक–13.06.2009 एवं मौजा–आराहरा का एवार्ड दिनांक–19.06.2009 को घोषित कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, किन्तु संबंधितों को नोटिस करने एवं ग्राम स्तर पर दिनांक–20.09.2013, 20.09.2014 एवं 23.07.2015 को कैम्प आयोजन करने के पश्चात् भी लोगों द्वारा राशि भुगतान हेतु दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पुनः दिनांक–16.08.2019 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम एवं दिनांक–30.11.2019 तथा दिनांक–09.02.2021 से नोटिस किये जाने के बावजूद भी ग्रमीणों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। NGT के आदेश के आलोक में तीन माह के अन्दर पकरी बरवाडीह परियोजना (एन०टी०पी०सी०) अन्तर्गत कन्वेयर बेल्ट का निर्माण करना आवश्यक है।
2	क्या यह बात सही है कि भू–रैयतों के द्वारा 01 दिसम्बर, 2018 को अंचलाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त, हजारीबाग तथा महाप्रबंधक एन०टी०पी०सी० पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना, हजारीबाग को पत्रांक–3304, दिनांक–01.12.2018 तथा 24.05.2018 PHC/10/12/2018 को आवेदन दिया गया था, जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा कम्पनी द्वारा बगैर मुआवजा भुगतान किए कार्य किये जा रहे है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है ;	ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज या विवरणी ग्रमीणों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों से दस्तावेज प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।

3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कम्पनी के कार्यों पर रोक लगाकर रैयतों को मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी० / भू०अ०नि० वि०स०(तारां०)–41 / 2021 –116/वि० राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–555, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव।

13/नि. (विधान सभा) 01/2021 180/नि॰ 259

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्रीमती पुष्पा देवी मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा.–17 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती पुष्पा देवी मा.स.वि.स.	जोबा मांझी माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के छत्तरपुर अनुमंडल का गठन वर्ष 1994 में हुई थी, तब से लेकर आज तक छत्तरपुर अनुमंडल स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, परन्तु छतरपुर अनुमण्डल स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है, कि अनुमंडल रहने के बावजूद भी आज तक निबंधन कार्यालय न होने से आम लोगों को निबंधन कार्य हेतु 50–60 कि.मी. दूरी तय कर मेदिनीनगर मुख्यालय जाना पड़ता है जिससे अनुमण्डल वासियों को काफी समस्या होती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। निबंधन कार्य हेतु छतरपुर अनुमण्डल, अवर निबंधन कार्यालय, हुसैनाबाद के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अवस्थित है। छतरपुर अनुमण्डल से हुसैनाबाद अवर निबंधन कार्यालय की दूरी लगभग 25 से 30 कि.मी. है। छतरपुर अनुमण्डल से हुसैनाबाद अवर निबंधन कार्यालय के मध्य आवागमन के साधन सुगम रूप से उपलब्ध है तथा छतरपुर से निबंधन कार्य हेतु हुसैनाबाद आने में कोई कठिनाई नहीं है। निबंधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मूल निबंधन कार्यालय ना जाकर जिला निबंधन कार्यालय में निबंधन कराना चाहता है तो विशेष शुल्क देकर जिला निबंधन कार्यालय में निबंधन कार्य सम्पन्न करा सकता है। इस प्रावधान के कारण कुछ पक्षकार अपनी सुविधा अनुसार हुसैनाबाद अवर निबंधन कार्यालय में दस्तावेज निबंधित ना कराकर जिला निबंधन कार्यालय, मेदिनीनगर में भी दस्तावेज का निबंधन कराते है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले के छत्तरपुर अनुमण्डल में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करते हुए निबंधन कार्यालय की स्थापना करने को विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक चूंकि पूर्व से ही छतरपुर के नागरिकों के निबंधन कार्य को सुगम बनाने हेतु अवर निबंधन कार्यालय, हुसैनाबाद की स्थापना की जा चुकी है, छतरपुर अनुमण्डल में अलग से निबंधन कार्यालय खोलना उचित प्रतीत नहीं होता है।

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 01 /2021 180/नि॰ राँची, दिनांक... 4·3·2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं.प्र.575, दिनांक–26.02.2021के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 01 /2021 180/नि॰ राँची, दिनांक... 4·3·2021

प्रतिलिपि:– माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(207) (260)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	स्वीकारात्मक।
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के झरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनियाहीर मैदान में वित्तीय वर्ष 2008–09 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोड़ापोखर (आवासीय भवन सहित) के निर्माण हेतु रू0 3,53,59,200=00 (तीन करोड़ तिरपन लाख उनसठ हजार दो सौ) राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ;	
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) निर्माण होने के उपरांत भवन प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा इसका हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग, धनबाद को नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) में वांछित कर्मियों (यथा–पानी एवं बिजली) को पूर्ण कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झरिया–सह–जोड़ापोखर को हस्तगत करते हुए नव निर्मित भवन में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोड़ापोखर का निर्माण कार्य उपायुक्त द्वारा चयनित एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा कराया जा रहा था । सिविल सर्जन, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त नवनिर्मित भवन में पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसका हस्तान्तरण तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झरिया–सह–जोड़ापोखर द्वारा नहीं लिया गया है । वर्तमान में सिविल सर्जन द्वारा दर्शाए गए कर्मियों को दूर करने के लिए विभागीय पत्रांक–155(6) दिनांक 26.02.2021 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को उक्त भवन की वांछित कमियों को शीघ्र दूर कराकर विभाग को हस्तांतरित कराने के लिए निदेशित किया गया है। भवन हस्तगत लिये जाने के उपरांत उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा बहाल करा दी जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 05/2021– 200(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 02·03·2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–38/वि0स0, दिनांक–17.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
अवर सचिव।

261

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–106(5) दिनांक 06.06.2008 के द्वारा रेफरल अस्पताल ठाकुरगंगटी को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर दिया गया था ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रेफरल अस्पताल सह सामुदायिक केन्द्र ठाकुरगंगटी को वर्तमान समय तक स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक दर्जा नहीं दिया जा सका है ;		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अस्पताल को प्रशासनिक सह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में दर्जा देना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0–106(5) दिनांक 06.06.2008 द्वारा रेफरल अस्पताल ठाकुरगंगटी को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रशासनिक दर्जा दिया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 04/2021– 157(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 01.3.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–36/वि0स0, दिनांक– 17.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/2021
अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमण्डल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस बन कर तैयार है ;	अस्वीकारात्मक। पोस्टमार्टम हाउस अर्धनिर्मित है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त पोर्स्टमार्टम हाउस चालू नहीं होने के कारण आज भी पोस्टमार्टम करने हेतु मृतक के आश्रित एवं प्रशासनिक व्यक्तियों को हजारीबाग जाना पड़ता है, जिससे घोर कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक। पोस्टमार्टम भवन अर्धनिर्मित होने के कारण लोगों को हजारीबाग जाना पड़ता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरही अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्य शीघ्र प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बरही पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण हेतु 35,71,800/–(पैंतीस लाख एकहत्तर हजार आठ सौ) रू० की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक–27.08.2014 को दी गयी। 35,71,800/–(पैंतीस लाख एकहत्तर हजार आठ सौ) रू० का आवंटन दिया गया। 20,29,862/– (बीस लाख उन्तीस हजार आठ सौ बासठ) रू० का व्यय हुआ। कार्य 75 प्रतिशत पुरी हुई है। पोस्टमार्टम भवन निर्मित करने का कार्य M/S Riya Construction Sector-60/C, Cuarter No-2315, Bokaro Steel City, Jharkhand को दिया गया है। पोस्टमार्टम भवन ससमय पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 284 दिनांक 01.03.2021 द्वारा इनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी है। पोस्टमार्टम भवन निर्मित होते ही पोस्टमार्टम का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-10/2021-78(15) रॉंची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 592 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04-03-2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

264

श्री सोनाराम सिंकू, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न अनुमण्डलीय अस्पतालों में सरकार द्वारा एक्स–रे एवं आट्रासाउण्ड की सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है ;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमण्डल मुख्यालय में स्थित सरकारी अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक्स–रे एवं अन्य अल्ट्रासाउण्ड की कोई सुविधा नहीं है ;</td><td>पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमण्डल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) है।
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सिर्फ सदर अस्पताल, चाईबासा में एक्स–रे एवं आट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है, जिससे अस्पताल में आने वाले रोगियों को जिन्हें एक्स–रे एवं आट्रासाउण्ड जाँच की आवश्यकता पड़ती है उन सभी मरीजों को इसकी सुविधा दी जाती है। विगत दो वर्ष में एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउण्ड के किये गये मामले निम्नवत है :–
<table>
<tr><td>अप्रैल 2020 से जनवरी 2021</td><td>एक्स–रे (DH Chaibasa)- 1962</td></tr>
<tr><td></td><td>एक्स–रे (Health Map)- 2620</td></tr>
<tr><td></td><td>अल्ट्रासाउण्ड (DH Chaibasa)- 2295</td></tr>
<tr><td></td><td>अल्ट्रासाउण्ड (Health Map)- 962</td></tr>
<tr><td>अप्रैल 2019 से जनवरी 2020</td><td>एक्स–रे (DH Chaibasa)- 1309</td></tr>
<tr><td></td><td>एक्स–रे (Health Map)- 3474</td></tr>
<tr><td></td><td>अल्ट्रासाउण्ड (DH Chaibasa)- 2165</td></tr>
<tr><td></td><td>अल्ट्रासाउण्ड (Health Map)- 3474</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3-</td><td>क्या यह बात सही है कि कि जगन्नाथपुर अनुमण्डल मुख्यालय से सदर अस्पताल, चाईबासा की दूरी 60 कि०मी० है जिसके कारण प्रसुति (गर्भवती) महिलाओं को एक्स–रे एवं अन्य अल्ट्रासाउण्ड के लिए जाना पड़ता है ;</td><td>स्वीकारात्मक</td></tr>
<tr><td>4-</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जगन्नाथपुर अनुमण्डलीय अस्पताल में एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?</td><td>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगन्नाथपुर में तकनिकी कर्मीयों की उपलब्धता के आधार पर सुविधा बहाल करने हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-15/2021–75 (15) रॉंची, दिनांक–03-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 603 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03-03-2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

265

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा० –09 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड में एन०टी०पी०सी० द्वारा अधिग्रहित जमीनों को मुआवजा पूर्व में प्रति एकड़ 15 लाख रूपये दिया गया था जबकि वर्त्तमान में यह भुगतान 24 लाख रूपये की दर से किया जा रहा है ;		चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में अधिगृहित रैयती जमीन का मुआवजा भू–अर्जन अंतर्गत नियमानुसार किया गया है तथा भू–अर्जन द्वारा भुगतान दर के अतिरिक्त अन्तर राशि 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये प्रति एकड़ तक का भुगतान NTPC प्रबंधन द्वारा किया गया है।
	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे रैयतों को भी अन्तर राशि का भुगतान करना चाहती है जिन्हें पूर्व में प्रति एकड़ मात्र 15 लाख रूपये मुआवजा दिया गया था, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		NTPC टण्डवा प्रबंधन से संबंधित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी०/भू०अ०नि० वि०स०(तारां०)–43/2021- 112/Pro राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–560, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव।

(267)

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–30 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित राँची, खूँटी और सिमडेगा के 875 गाँवों का सेटेलाइट सर्वे के माध्यम से नक्शा तैयार कराने का काम अभी तक लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सेटेलाइट सर्वे से आम जनों की जमीन संबंधी विवाद, जमीन की स्थिति, जमीन की मालिक एवं जमीन की प्रकृति और वर्गीकरण जैसी समस्या का समाधान हो जाता परन्तु योजना के लंबित होने के कारण आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राँची, खूँटी और सिमडेगा के 875 गाँवों का सेटेलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। संबंधित एजेन्सी द्वारा Stage-I के नक्शा का कार्य पूर्ण कर Stage-II के नक्शा का कार्य आंशिक रूप से किया गया था परन्तु एजेन्सी द्वारा आंशिक रूप से तैयार किए गये Stage-II के नक्शा में जाँचोपरान्त विभिन्न त्रुटियाँ पाई गई जिसका निराकरण विभाग द्वारा संबंधित एजेन्सी से कराया जा रहा है। त्रुटियों के निराकरण के पश्चात् नियमानुसार सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा ताकि आमजनों के जमीन संबंधी समस्या का समाधान शीघ्र हो सके।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रस्तावित सेटेलाइट सर्वे के माध्यम से नक्शा तैयार करने की योजना यथाशीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02 / भू०अ०प०नि० वि०स०(तारां०)–09 / 2021-154/राँची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–561, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2021
सरकार के अवर सचिव।

(268)

श्री मनीष जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–01 की उत्तर सामग्रीः–

क्रमांक	प्रश्नकर्ता श्री मनीष जयसवाल माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद निबंधित कामगारों को प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रूपये पेंशन राशि देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक उक्त योजनान्तर्गत मात्र 1.29 लाख असंगठित मजदूरों का निबंधन हुआ है, जबकि सूबे में लगभग 09 लाख कामगार भवन तथा अन्य निर्माण विभागों में और 13 लाख असंगठित कामगार निबंधित हैं;	स्वीकारात्मक। योजनान्तर्गत अबतक कुल 1,29,189 (एक लाख उनतीस हजार एक सौ नवासी) लाभुक निबंधित हैं। झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित लाभुकों की संख्या 10,94,542 (दस लाख चौरानवे हजार पाँच सौ बयालीस) है एवं निबंधित असंगठित कामगार की संख्या 13,79,864 (तेरह लाख उनासी हजार आठ सौ चौसठ) है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल आबादी के हिसाब से लगभग 10% लोग असंगठित कामगार के रूप में चिन्हित हैं, जिसमें अबतक मात्र 05% कामगार ही खण्ड–01 में वर्णित योजना से जुड़ सके हैं, जिसके कारण राज्य में उक्त योजना के पंजीकरण कराने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या में देश में 8वें स्थान पर है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित योजना का लक्ष्य पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रज्ञा केन्द्र Facilitation Centre के रूप में कार्यरत है। असंगठित कामगारों के बीच इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए समय–समय पर विभिन्न जन–संचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। योजना का लक्ष्य पूरा करने हेतु विभाग सतत प्रयत्नशील है।

04/03/2021

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–06 / 2021श्र0नि0–286 राँची, दिनांक– 04/03/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–546, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–42 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि सारठ, देवघर में नये CHC अस्पताल के बन जाने एवं पुराने अस्पताल के जमीन का घेराबन्दी नहीं रहने से दबंगो द्वारा जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमण कारियों से उक्त जमीन को बचाते हुए, चारदीवारी निर्माण कराकर मिनी स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने एवं चारदीवारी के निर्माण की कार्रवाई शीघ्र करने हेतु विभागीय पत्र सं0–65 (15) दिनांक–03.03.2021 द्वारा उपायुक्त, देवघर एवं सिविल सर्जन, देवघर को निदेश दिया गया है। मिनी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-13/2021 - 79(15) रॉंची, दिनांक– 04-03-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 595 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari